अनुबंध-2.1

लेखापरीक्षा प्रतिचयन-जिलों का चयन

(पैराग्राफ 2.1.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	जिला		पैकेज		चयनित पैकेजों की स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	चयनित पैकेजों पर मार्च 2015 तक खर्च (₹ करोड़ में)
		कुल	चयनित	कुल	चयनित		
1	आंध्र प्रदेश	13	3	278	68	97.46	33.37
2	अरूणाचल प्रदेश	16	4	101	29	194.07	130.81
3	असम	27	8	992	247	995.38	575.09
4	बिहार	38	10	4,054	1,034	2,069.23	1,159.14
5	छत्तीसगढ़	18	5	444	112	539.27	286.65
6	गोवा[1]	2	2	0	0	0	0
7	गुजरात	26	7	264	70	374.01	238.07
8	हरियाणा	21	7	56	32	279.12	157.62
9	हिमाचल प्रदेश	12	4	263	66	97.26	61.17
10	जम्मू एवं कश्मीर	22	6	500	138	477.49	280.66
11	झारखण्ड	24	6	1,184	467	654.29	364.82
12	कर्नाटक	29	8	312	88	259.22	213.95
13	केरल	14	4	241	62	108.27	66.80
14	मध्य प्रदेश	51	13	1,145	316	1,192.08	966.47
15	महाराष्ट्र	35	8	312	88	362.61	287.75
16	मणिपुर	9	4	333	64	178.31	103.33
17	मेघालय	11	6	273	68	180.50	31.23
18	मिजोरम	8	2	41	18	73.72	52.65
19	नागालैण्ड	11	3	27	15	78.36	61.14
20	ओडिशा	30	9	2,192	551	1,037.28	779.70
21	पंजाब	22	8	170	44	203.52	173.12
22	राजस्थान	33	8	612	168	412.94	296.21
23	सिक्किम	4	2	102	27	114.45	94.55
24	तमिलनाडु	31	8	256	69	109.27	94.32
25	तेलगांना	10	2	136	38	46.96	42.34
26	त्रिपुरा	4	2	319	82	311.47	158.84

[1] निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आच्छदित अवधि के दौरान, गोवा में कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया।

27	उत्तर प्रदेश	72	18	550	180	576.81	447.08
28	उत्तराखण्ड	13	4	319	94	468.95	298.18
29	पश्चिम बंगाल	18	5	641	182	470.00	279.87
	कुल	**624**	**176**	**16,117**	**4,417**	**11,962.30**	**7,734.93**

अनुबंध-2.2

प्रति चयनित जिलों का विवरण

(पैराग्राफ 2.1.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	चयनित जिलों की संख्या	चयनित जिले का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	03	अनंतपुर, नेल्लौर, विजयानगरम्
2.	अरूणाचल प्रदेश	04	पापुम पारे, अंजाव, लोहित, पश्चिम सियांग
3.	असम	08	लखिमपुर, गोलघाट, ढ़ुबरी, चिरांग, नागांव, काचार, करीमगंज, बक्शा
4.	बिहार	10	भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण
5.	छत्तीसगढ़	05	रायपुर, बिलासपुर, राजनंद गांव, जसपुर, कांकेर
6.	गोवा	02	उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा
7.	गुजरात	07	बनासकंठ, दाहोद, जामनगर, कच्छ, पंचमहल, बडोदरा, वलसाड़
8.	हरियाणा	07	पानीपत, कैथल, हिसार, सिरसा, झज्जर, गुडगांव, यमुनानगर
9.	हिमाचल प्रदेश	04	हम्मीरपुर, कांगड़ा, लाहुल एवं स्पीति, किन्नौर
10.	जम्मू एवं कश्मीर	06	अनंतनाग, राजौरी, किश्तवाड़, कुलगाम, कठुआ, लेह
11.	झारखण्ड	06	देवहार, गढ़वा, हजारीबाग, जमतरा, सिमडेगा, पश्चिम-सिंहभूम
12.	कर्नाटक	08[2]	कोलार, बल्लारी, तुमाकुरू, कलबुर्गी, गोकक, सिरा, उडुपी, हसन, हावारी, बेलगावी
13.	केरल	04	कन्नूर, मालापुरम्, एरनाकुलम्, इडुक्की
14.	मध्य प्रदेश	13	अशोक नगर, बेतुल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, रीवा शाजापुर, सागर, विदिशा, उमरिया
15.	महाराष्ट्र	08	अकोला, जालना, हिंगोली, धुले, सतारा, रतनागिरी, थाणे, अमरावती
16.	मणिपुर	04	इम्फाल पूर्व, थाऊबल, सेनापति, उखरूल
17.	मेघालय	06	पूर्वी खासी हिल्स, री-भोई, पश्चिम गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स, पूर्व गारो हिल्स, उत्तर गारो हिल्स

[2] 10 पीआईयू

क्र.सं.	राज्य	चयनित जिलों की संख्या	चयनित जिले का नाम
18.	मिजोरम	02	आईजोल, चम्फई
19.	नागालैण्ड	03	किफिरे, पेरेन, जुन्हेबोटो
20.	ओडिशा	09	बालानगिर, बालासोर, धनकनाल, जाजपुर, कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज, रायगढ़ एवं सुन्दरगढ़
21.	पंजाब	08	अमृतसर, भटिण्डा, होशियारपुर, जालंधर, मनसा, मुक्तसर, पठानकोट, संगरूर
22.	राजस्थान	08	भिलवाड़ा, बुंदी, चूरू, दौसा, दुंगरपुर, कोटा, नागपुर, उदयपुर
23.	सिक्किम	02	पूर्व, दक्षिण
24.	तमिलनाडु	08	कांचीपुरम्, तिरूवन्नामलाई, अरियलुर, पुड्डुकोट्टई, द.नीलगिरि, कृष्णागिरी, डिंडिगुल, कन्याकुमारी
25.	तेलगांना	02	खम्माम, महबूबनगर
26.	त्रिपुरा	02	धलाई, पश्चिम त्रिपुरा
27.	उत्तर प्रदेश	18	आगरा, इलाहाबाद, बस्ती, चन्दौली, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फजेहपुर, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कासगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, मथूरा, मुरादाबाद, सीतापुर, शाहजहाँपुर
28.	उत्तराखण्ड	04	अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी
29.	पश्चिम बंगाल	05	उत्तरी 24 परगना, हुगली, मालदा, पूरब मेदिनीपुर उत्तर दिनाजपुर
	कुल	**176**	

अनुबंध-3.1

कोर नेटवर्क में कमियाँ

(पैराग्राफ 3.3.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,380 असंबद्ध बस्तियों को जुड़ा हुआ दर्शाया गया था जबकि 26 योग्य असंबद्ध बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था (जून 2014)। अनंतपुर जिले में, संबद्ध बस्तियों के ब्यौरे नहीं दर्शाये जाने, माध्यम/लिंक मार्गों की सड़क संख्या प्रदान करते समय अनुक्रमित क्रम की अनुपस्थिति, भिन्न माध्यम/लिंक मार्गों को एक ही सड़क संख्या प्रदान करने, प्रारंभ एवं समापन बिंदु को समान दर्शाये जाने जैसी विसंगतियां देखी गयी थीं।
2.	असम	नागांव जिले में,कार्यक्रम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, दो प्रमुख जिला सड़कों (एमडीआर), कामपुर से जमुनामुख और सोनायगांव से ढिंग को ₹6.48 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत और निर्मित किया गया था। करीमगंज जिले में, एक सुधार-योग्य माध्यम मार्ग (टीआर) "पाओमास से चेरागी बाजार", जिसकी लंबाई 31.95 किमी थी, को सीएनडब्ल्यू में पाँच भिन्न सड़कों में विभक्त करके एक नयी संयोजकता के रूप में प्रस्तावित किया गया था। सड़क के निर्माण पर ₹7.35 करोड़ का व्यय हुआ।
3.	बिहार	असंबद्ध बस्तियों के विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में सीएनडब्ल्यू में 6,551 योग्य बस्तियों को शामिल नहीं किया गया था।
4.	गुजरात	278 बस्तियों को गलत रूप से सीएनडब्ल्यू में जुड़ा हुआ दिखाया गया था।
5.	हिमाचल प्रदेश	नमूना परीक्षित जिलों के मुख्य अभियंता एवं ओम्मास द्वारा अनुरक्षित बस्तियों के आंकड़ों में भिन्नता पायी गयी थी।
6.	जम्मू एवं कश्मीर	दो नमूना परीक्षित जिलों में छः बस्तियों को गलत रूप से सीएनडब्ल्यू में जुड़ा हुआ दर्शाया गया था।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		250 और उससे अधिक की आबादी वाले 1,171 बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था जबकि बंजारों (प्रवासियों) द्वारा बसे हुए एक क्षेत्र को सीएनडब्ल्यू में शामिल किया गया था।
7.	झारखण्ड	तीन जिलों (देवघर, सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम) में, मार्च 2010 तक संयोजकता प्रदान किये गये बस्तियों की संख्या, सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित योग्य बस्तियों से अधिक थी। परिचालन नियम-पुस्तक का उल्लंघन करते हुए, चार जिलों, देवघर, गढ़वा, हजारीबाग और पश्चिम सिंहभूम में 203[1] सड़कों में, एक ब्लॉक के अंदर एक से अधिक सड़क को एक ही पहचान संख्या प्रदान की गयी थी। देवघर जिले में, 199 बस्तियों (ब्लॉक विकास पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित) को संशोधित सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था। 500 से कम आबादी वाले छः बस्तियों को संयोजकता हेतु चयनित किया गया था यद्यपि ये जिलें अनुसूची-V क्षेत्र के नहीं थे। दो जिलों (हजारीबाग एवं गढ़वा) में, 27 सड़कों में, डीआरआरपी, सीएनडब्ल्यू एवं डीपीआर में दिखायी दे रहे बस्तियों के नाम एवं जनसंख्या एक-दूसरे से नहीं मिलती थी।
8.	कर्नाटक	'नई संयोजकता' के अंतर्गत 2013-14 के दौरान छूट गयी बस्तियों के रूप में 28 निर्माण-कार्यों के संस्वीकृति प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि कुछ सड़कें, अभिलेखों में पहले गलत वर्गीकरण के कारण सीएनडब्ल्यू से छूट गयी थीं।
9.	केरल	इडुकी जिले में, 2,236 की जनसंख्या वाले 'इदामलकुड़ी' बस्तियों, जो एक मोटर योग्य सड़क से 12 किमी दूर पड़ता था, को गलती से सीएनडब्ल्यू में जुड़ा हुआ बताया गया था।
10.	मणिपुर	तीन जिलों, सेनापति, पूर्वी इम्फाल एवं उखरूल में, आठ बस्तियों को गलत जनसंख्या आकार में श्रेणीबद्ध किया गया था।

[1]देवघर (08), गढ़वा (88), हजारीबाग (40) एवं पश्चिम सिंहभूम (67)।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		थाम्बल जिले में, 488 व्यक्तियों (जनगणना 2001) की जनसंख्या वाले एक योग्य बस्तियों (खोइडम) को गलत जनसंख्या आंकड़े (205) लेने के कारण सीएनडब्लयू में शामिल नहीं किया गया था।
11.	मेघालय	रिभोई एवं पूर्व खासी हिल्स जिले में, 250 व्यक्तियों से अधिक की जनसंख्या वाले 13 योग्य असंबद्ध बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था।
12.	ओडिशा	सी.एन.डब्ल्यू. के साथ-साथ डीआरआरपी में 4,035 योग्य बस्तियां शामिल नहीं थीं। जिला धनकनल में, ₹17.50 करोड़ के व्यय पर आठ प्रमुख जिला सड़कों की मरम्मत हुई थी।
13.	राजस्थान	नमूना परीक्षित जिलों में, एसआरआरडीए, एनआरआरडीए और ओम्मास द्वारा रखरखाव की गई बस्तियों में भिन्नताएं थीं। जिला भिलवाडा में, 500 मीटर से अधिक की दूरी होने के बावजूद सामूहिक सिफारिश के अंतर्गत दो बस्तियों[2] को जोड़ने के लिए एक सड़क 'छाबरिया से भुवाना-तेज-की-झोपडियां' प्रस्तावित की गई थी। जिला नागौर में, 4.5 किमी की लंबाई वाली एक सड़क 'हरसोला से रायको-की-धानी' प्रस्तावित की गई थी। हालांकि, डीपीआर के साथ संलग्न रैखिक चार्ट और ट्रांसेक्ट वॉक के अनुसार, हरसोला और रायको-की-धानी के बीच की दूरी केवल 900 मीटर थी।
14.	सिक्किम	असंबद्ध बस्तियों की संख्या एवं जनसंख्या में विसंगतियां थीं।
15.	तेलंगाना	खम्मम जिले में, 140 असंबद्ध बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में जुड़ा हुआ दिखाया गया था। महबूबनगर जिले में, सीएनडब्ल्यू ने माध्यम/लिंक मार्गों को सड़क संख्या देते समय अनुक्रमिक क्रम का ध्यान नहीं रखा गया। जिला खम्माम से संबंधित 15 योग्य बस्तियों (250-499 की जनसंख्या वाले बाम विंग प्रभावित (एलडब्ल्यूई) दो बस्तियों) एवं महबूबनगर में

[2] भुवाना-तेज-का-झोपड़िया एवं भुवाना-तेजा-का-बर्दा

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		500+ की जनसंख्या वाली दो बस्तियों (पल्लेचेल्का थंदा एवं गुर्रूमगुदा) को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था।
16.	त्रिपुरा	17 योग्य असंबद्ध बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था।
17.	उत्तर प्रेदश	500-999 की जनसंख्या वाली 6,221 बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था।
18.	उत्तराखंड	चयनित जिलों में 250 एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाली छः योग्य बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में शामिल नहीं किया गया था। 190 असंयुक्त बस्तियों को गलती से जुड़ा हुआ दर्शाया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2016) कि राज्य ने कागज एवं ओम्मास दोनों पर ही असंबद्ध योग्य बस्तियों को मिला लिया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि इन 190 असंबद्ध बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में अभी भी जुड़ा हुआ दिखाया गया था।
19.	पश्चिम बंगाल	नमूना परीक्षित जिलों में, असंबद्ध होने पर भी 86 बस्तियों को सीएनडब्ल्यू में जुड़ा हुआ दिखाया गया था।

अनुबंध -3.2

सड़क की लंबाई में अंतर

(पैराग्राफ 3.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	असम	तीन जिलों में, 16 सड़कों में सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई की तुलना में वास्तविक निष्पादन की लंबाई में अंतर (अतिरिक्त 41.71 किमी) था।
2.	जम्मू व कश्मीर	छः नमूना परीक्षित जिलों में से पाँच में,आठ सड़कों में, वास्तविक लंबाई की सीएनडब्ल्यूसे तुलना की गयी तो वो कुल 19.27 किमी अधिकता में थी, जबकि, 23 सड़कों में, लंबाई 57.76 किमी कम पायी गई थी।
3.	झारखंड	नमूना परीक्षित जिले में, डीपीआर में उल्लिखित सड़कों की वास्तविक लंबाई सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई से तुलना करने पर यह 239 सड़कों में कुल 284.75 किमी अधिक थी, जबकि वास्तविक लंबाई 180 सड़कों में 284.26 किमी कम थी।
4.	केरल	तीन नमूना परीक्षित जिलों मे, 17 सड़कों में सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई की तुलना में वास्तविक निष्पादन पर लंबाई में अंतर (31 किमी अधिक) था।
5.	मध्य प्रदेश	पूरे किए गए पैकेज के अंतर्गत विश्लेषित 640 सड़कों में से, 594 सड़कों की, सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई की तुलना में वास्तविक निष्पादन की लंबाई में अंतर था। 427 कार्यों में, विचलन परिसर 10 से 339 प्रतिशत था। 184 सड़कों की लंबाई 258.44 किमी अधिक थी जबकि 243 सड़कों की लंबाई 496.54 किमी घट गयी।
6.	ओड़िशा	आठ नमूना परीक्षित जिलों में, 2010-15 के दौरान,112 सडकों हेतु, सीएनडब्ल्यू के अनुसार 307.55 किमी की लंबाई के प्रति, अनुबंध 433.63 किमी की लंबाई के लिए सौंपा गया था।

7.	पंजाब	आठ नमूना परीक्षित जिलों मे से तीन में, डीपीआर में उल्लिखित सड़क की लंबाई छः सड़कों में 15.76 किमी अधिक थी जबकि दो सड़कों में 1.93 किमी घटायी गयी थी जब सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई से तुलना की गयी।
8.	तमिलनाडु	उधगमंडलम जिले में, सीएनडब्ल्यू की तुलना में एक सड़क की वास्तविक निष्पादन पर लंबाई 0.45 किमी अधिक थी।
9.	उत्तराखंड	चार नमूना परीक्षित जिलों में से तीन में, डीपीआर में उल्लिखित सड़क की लंबाई, सीएनडब्ल्यू में उल्लिखित लंबाई की तुलना में पाँच सड़कों में 33.36 किमी अधिक थी।

अनुबंध-3.3

गैर अनुमेय सड़क परियोजनाओं का चयन

(पैरा 3.3.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	बिहार	वैशाली जिले पाटेपुर प्रखण्ड में, कार्यक्रम के अंतर्गत 500 मीटर के न्यूनतम आवश्यक लंबाई के प्रति, 457 मीटर लंबी एक सड़क एल 032 से पासवान टोला (पैकेज सं.-बीआर-36 आर-171) को संस्वीकृत किया गया था और मार्च 2015 तक उस पर ₹0.14 करोड़ खर्च किया गया था।
2.	गुजरात	पंचमहल जिले में, माध्यम मार्ग (गोथिब-बतक्वड़ा-सिमलिया) पर अवस्थित बस्तियों (तडगम फलिया) को जुलाई 2009 में ₹0.45 करोड़ की लागत से सड़क संयोजकता (सिमलिया से तडगम फलिया) प्रदान की गयी थी। पंचमहल जिले में, कार्यक्रम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, संतरामपुर इलाके में गाँव के आंतरिक सड़क (जुनाखेड़ा भेडी फलिया) का निर्माण ₹1.26 करोड़ की लागत से अप्रैल 2013 में पूरा किया गया था।
3.	हिमाचल प्रदेश	दो पैकेजों (एचपी 0464 एवं एचपी 04115) पर ₹0.51 करोड़ का व्यय दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया था क्योंकि उनके मार्ग की दूरी सदाबहार सड़क पर 1.5 किमी. से कम थी।
4.	जम्मू एवं कश्मीर	दो चयनित जिलों में, सभी सदाबहार सड़कों से 1.5 किमी के अंदर सात सड़कों का ₹6.97 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया था।
5.	मध्य प्रदेश	शाजपुर जिले में, शुजालपुर मण्डी कालापीपल से भुगोर (पैकेज सं. 03942) सड़क जिसकी लम्बाई 500 मीटर से कम थी को ₹0.05 करोड़ से निर्मित किया गया था।
6.	मेघालय	दो चयनित जिलों में, 22 बस्तियों जो सभी मौसम सड़कों से संस्वीकृत सड़क पथ 1.5 किमी. से कम दूरी पर थे, संयोजकता के लिए ₹1.79 करोड़ व्यय किया गया था।
7.	ओडिशा	2008-13 के दौरान लिए गये सभी मौसम सड़क/संयोजित बस्तियों से 500 मी की दूरी पर 15 सड़क परियोजनाएं (5.883

		किमी) स्थित थी तथा ₹5.94 करोड़ का व्यय हुआ। कालाहांडी जिले में, एक सड़क कार्य "चिचिगुड़ा से शांतीपुर" (पैकेज सं. ओ.ओर.-15.200/XII) को शांतीपुर को संयोजित करने के लिए लक्षित बस्ती के रूप में लिया गया था इस तथ्य के बावजूद कि यह पीडब्लूडी सड़क से चिचिगुड़ा से केवल 450 मी. की दूरी पर है।
8.	सिक्किम	25 सड़क कार्यों को, इस तथ्य के बावजूद कि वे सभी मौसम सड़कों या संयोजित बस्तियों से 1.5 किमी. के अंदर है, ₹13.20 करोड़ की लागत पर लिये गये थे। विभाग ने बताया कि सड़कों को अविलंब जन मांगों के आधार पर संस्वीकृत किया गया था।
9.	तमिलनाडु	"आनंदनगर-गननदासपुरम् 0/0 किमी.से 1/0 किमी." को उन्नयन के लिए लिया गया था तथा ₹0.41 करोड़ की लागत से क्रियान्वित किया गया था, जबकि आनन्दनार एक चैनल है, चैनल बैंक के साथ एक सड़क विद्धमान है तथा गगनदासपुरम् चैनल से लगभग 200 मीटर था तथा शेष 800 मीटर गांव के बगल से जाता है। ₹0.41 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण दिशानिर्देशों के खिलाफ था। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2016) कि कार्य का कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के खिलाफ नहीं था लेकिन कार्यक्रम के अंतर्गत योग्यता के लिए मानदंड विशेष रूप से नहीं था।
10.	उत्तराखण्ड	पौढ़ी जिले में, सीएनडब्ल्यू में दो सड़के शामिल थीं जबकि पथ दूरी 1.5 किमी. से कम थी।

अनुबंध -3.4

सीएनपीसीएल/सीयूपीएल की तैयारी में कमी

(पैराग्राफ 3.5 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	चयनित जिलों में, 250 व्यक्तियों से कम जनसंख्या वाली 160 बस्तियों को जोड़ने के लिए 107 सड़के ब्लॉक स्तरीय सीएनपीसीएल में सम्मिलत थीं। परिणामस्वरूप, ₹9.78 करोड़ के व्यय से चार अयोग्य बस्तियों को संयोजकता प्रदान की गयी।
2.	बिहार	चयनित जिलों में, सीएनडब्लू के 110 सड़क जोकि केवल अपग्रेडेशन के योग्य थे, वे सीएनसीपीएल तथा सीयूपीएल दोनों में शामिल किए गए थे।
3.	हिमाचल प्रदेश	सीयूपीएल को बिना पीसीआई सर्वेक्षण संचालित किए तैयार किया गया था।
4.	झारखण्ड	चयनित जिलों में, 616 सड़कें सीएनसीपीएल तथा सीयूपीएल दोनों में शामिल पाई गई थीं। चार जिलों में, 250 से कम जनसंख्या वाले 32 बस्तियों को सीएनसीपीएल में शामिल किया गया था। हजारीबाग जिले में, सात सड़कें उन्नयन हेतु ली गई थी यद्धपि बस्तियों को सीएनडब्लू में असंयोजित दिखाया गया था।
5.	मणिपुर	थाऊबल जिले में, सीयूपीएल को बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर तैयार किया गया था। सड़कों की वरीयता पीसीआई सूचकांक तथा अन्य कारक जैसे, सडक का प्रकार, औसत वार्षिक दैनिक ट्रैफिक, इत्यादि पर आधारित थे, सीयूपीएल में नहीं पाये गये थे। पांच सड़कें उन बस्तियों के लिए सीएनसीपीएल में शामिल पाये गय थे जो सीएनडब्ल्यू में संयोजित दिखायी गयी थी।
6.	मेघालय	चार चयनित जिलों में, 250 से कम जनसंख्या वाले 354 बस्तियों सीएनपीसीएल में शामिल थे। चार चयनित जिलों में, 161 सड़कें सीएनपीसीएल तथा सीयूपीएल दोनों में प्रदर्शित थे।
7.	नागालैण्ड	सीएनपीसीएल ने सीएनडब्ल्यू की तुलना में अधिक योग्य बस्तियों का

		आंकड़ा दिया था।
8.	सिक्किम	सीयूपीएल को बिना पीसीआई सर्वेक्षण संचालित किए तैयार किया गया था। राज्य नोडल एजेंसी ने बताया कि पीसीआई सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अनुरक्षित किया गया था, फिर भी, न तो प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था न तो प्रतिवेदन की प्रति उत्तर के साथ प्रस्तुत की गई थी।
9.	त्रिपुरा	सीयूपीएल को बिना पीसीआई सर्वेक्षण संचालित किए तैयार किया गया था।
10.	उत्तर प्रदेश	प्रतिदर्श जिले में, सीयूपीएल को प्रत्येक फेस के लिए ऐच्छिक रूप से तैयार किया गया था तथा प्रत्येक समय सड़कों की नई प्रविष्टियां की गईं थीं जबकि पूर्ववर्ती सूचियों से असम्मिलित सड़कों की उपेक्षा की गई थी। सीयूपीएल को बनाते समय कोई प्राथमिकता अभ्यास नहीं किया गया था तथा सड़कें पीसीआई के क्रम में व्यवस्थित थीं। इसके अतिरिक्त, अन्य कारकों पर विचार अर्थात् किसी भी प्रतिदर्श जिले में सड़कों के उन्नयन के चयन के लिए जन तथा यातायात घनत्व पर विचार नहीं किया गया था।
11.	उत्तराखण्ड	संबंधित ब्लॉकों के सीएनपीसीएल में 14 सड़कों को शामिल पाया गया था जिसके लिए बस्तियों को या तो पहले ही संयोजित दिखाया गया था या सड़कों को सीएनडब्ल्यू में अयोग्य बस्तियों के लिए प्रस्तावित किया गया था। संबंधित ब्लॉक/जिला के सीयूपीएल में नई संयोजकता के 141 सड़कों को शामिल पाया गया था। सीएनडब्ल्यू के अनुसार नई संयोजकता के 40 सड़कों को संबंधित ब्लॉक/जिला के सीएनपीसीएल से प्राथमिकता नहीं दी गई थी/शामिल नहीं किया गया था। नैनीताल तथा पौड़ी के चार मार्ग माध्यमों को, इस तथ्य के बावजूद कि केवल एकल दिशा संयोजकता (लिंक मार्ग) ही नई संयोजकता के अंतर्गत अनुमत है, संबंधित ब्लॉक के सीएनपीसीएल में शामिल पाया गया था।

अनुबंध - 4.1

गलत तकनीकी विशिष्टताएं

(पैराग्राफ 4.3.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	निर्माणकार्यों की सं.	अभ्युक्तियां
1	बिहार	146	146 सड़क निर्माण कार्य गलत विशिष्टताओं के साथ निष्पादित किए गए थे जैसे कि कोलतार का अत्यधिक प्रयोग, अतिरिक्त ग्रेन्यूलर सब-बेस सामग्रियों का प्रयोग।
		198	198 सड़कों में, सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ (गाँव का भाग) भाग में पार्श्ववर्ती नाले को व्यवस्था डीपीआर में नहीं थी।
2	हिमाचल प्रदेश	2	जयसिंहपुर एवं पालमपुर प्रभागों में, दो सड़क निर्माण कार्यों (मझीन से सियलकर एवं बालु ही गॉव से लिंक सड़क का निर्माण) को जुलाई 2013 एवं अगस्त 2013 के मध्य, आवश्यक 150 मीमी की ठोस मोटाई के स्थान पर 75 मीमी चोड़ाई के डब्ल्यु बी एम श्रेणी ।।। बिछाकर निष्पादन किया गया था।
3	त्रिपुरा	2	पश्चिमी जिले में, दो सड़क निर्माण कार्यों (मधुपुर अस्पताल चौमुहानी से फुलटाली) डीपीआर 152 (यू) में एवं जमरडेफा से लक्ष्मणडेफा सड़क (डीपीआर 90 (यू)) में डीपीआर को सब-बेस मार्ग की अतिरिक्त मोटाई के साथ तैयार किया गया था परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।
4	उत्तर प्रदेश	111	फेज-x के अंतर्गत नमूने के जिलों में संस्वीकृत ।।। सड़क निर्माण कार्यों में, बेस मार्ग की मोटाई बनाये गये परत के 4 से 35 प्रतिशत कम था जिससे डिजाईन किए गए लाईफ के लिए इन सड़कों की स्थिरता प्रभावित होती है।
5	उत्तराखंड	21	नमूना परीक्षित जिलों के चरण-।। के 21 परियोजनाओं/पैकेजों (चरण-।। निर्माण कार्यों के कुल 44 चयनित पैकेजों में से सब-बेस) बेस मार्गों के लिए फुटपाथ मोटाई को अधिक रखा गया था जो इन निर्माण कार्यों के ₹4.09 करोड़ की लागत की अतिरिक्त सामग्री में परिणत हुआ जो परिहार्थ था।
		2	चमोली जिले में, दो मामलों (ल्वानी से धुनी एम आर (एल-094) एवं ककुल तल्ला से ग्वार एम आर (एल-030) में, कैरेज वे के फुटपाथ के आरेख हेतु अपनाए गए यातायात आंकड़े, यातायात के वास्तविक घटक

क्र. सं.	राज्य	निर्माणकार्यों की सं.	अभ्युक्तियां
			एवं सड़क की मिट्टी के स्थान पर देहरादून जिले के किसी सड़क के आधार पर लिए गए थे।
		6	अल्योड़ा, चमोली, नैनीताल एवं पौड़ी जिले में, छः डीपीआर में, बेस मार्ग एवं सब बेस मार्ग की परतों की फुटपाथ की चौड़ाई निर्धारित विशिष्टताओं की तुलना में अधिक चौड़ाई में बनायी/रखी गयी थी जो ₹0.22 करोड़ लागत की सामग्री के अतिरिक्त प्रयोग में परिणत हुआ।
		2	दो निर्माणकार्यों[1] में ₹0.53 करोड़ बचाया जा सकता था यदि निर्माण कार्य के उन दो जिन्हें एनआरआरडीए ने पीएमजीएसवाई विशिष्टताओं के अनुसार नहीं पाया,का निष्पादन नहीं किया गया होता
कुल		**490**	

[1] {तल्लाकोट-सीम (स्टेज-II) बेटलघाट ब्लॉक का एमआर (पैकेज/फेज सं. यूटी-07-03/VIII) तथा झज्जर-अक्सोरा (स्टेज- II) धारी ब्लॉक का एमआर (पैकेज/फेज सं. यूटी-07-01/VIII)}

अनुबंध-4.2

अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन

(पैराग्राफ 4.4.4 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1	महाराष्ट्र	अमरावती जिले में, करज्खेड़ा से पिपलिया सड़क (पैकेज सं.- एम एच - 0338) के सुधार हेतु जिन मदों की निविदा दी गयी थी उन्हें अनुमोदित निष्पादित करने में परिवर्तित किया गया था और तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन हुआ था क्योंकि कंक्रीट सीमेंट घटाया गया था और ऊपरी काली परत बढ़ायी गयी थी। यह विचलन एसटीए या एनआरआरडीए द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ था।
2	राजस्थान	एसई पीडब्ल्यूडी परिमंडल, नागपुर में देह से गोगा-मागरा-की घानी सड़क की ग्रेन्यूल सब-बेस (जीएसबी) की मोटाई को 0/0 से 3/600 तक में 100 मीनी के रूप में लिया गया था जबकि सड़क की क्रस्ट मोटाई की तकनीकी संस्वीकृति के अनुसार इसे 150 मीमी होना चाहिए।.
3	तेलंगाना	खम्मम जिले में, कोण को तुरू से अप्पलनरसिंहपुरम निर्माण-कार्य में बोरो गड्ढे सड़क के एकदम किनारे पर किये गये थे जो मंत्रालय की विविधताओं (301.3.4.1) के साथ ओएम के पैरा 6.9.3. के प्रावधानों के विरूद्ध थे।
4	**त्रिपुरा**	कमालपुर से कचुचेरा (भाग-I) (पैकेज सं. टीआर-01-35(यूजी)) तक के सड़क निर्माण के सुधार कार्य को कम यातायात घनत्व के बावजूद उच्चतर विशिष्टता के साथ शुरू किया गया था। इसमें ₹1.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। चार चयनित पैकेजों के अंतर्गत छः सड़क कार्य के निर्माण हेतु, महंगी और अच्छी विशिष्टताओं के प्रयोग से ₹0.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
		चार चयनित पैकेजों के अंतर्गत छः सड़क कार्य के निर्माण हेतु, महंगी और अच्छी विशिष्टताओं के प्रयोग से ₹0.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
5	उत्तराखंड	अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिले के छः सड़क निर्माणों में यह दिखायी दिया कि ग्रेन्यूलर-मल्ली-संयोजक बेस मार्ग हेतु अनुमोदित डीपीआर में ₹5.14 करोड़ मूल्य की निर्धारित सामग्री को एनआरआरडीए का अनुमोदन लिए बगैर जीएसबी-I एवं II से परिवर्तित कर जल बंध मकडम (डब्ल्यूवीएम)-I एवं II में किया गया था जिसमें ₹6.50 करोड़ की लागत आयी। सामग्री के अधिक मूल्य को प्रयोग में आगे वाले परिमाणों को या तो कम करके अथवा कथित निर्माणके कुछ अन्य मदों/ परिमाणों के निष्पादन नहीं होने से हुई बचतों के द्वारा समायोजित किया गया था।

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		नौ पीआईयू के 19 मामलों में निर्माण कार्यों की संस्वीकृत सीमा/मात्राओं को ₹7.54 करोड़ तक की राशि तक कम कर दिया गया था जबकि एनआरआरडीए की संस्वीकृति के बिना इन निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।
6	पश्चिम बंगाल	चार जिलों के नौ पैकोजों में; (उत्तरी 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर एवं उत्तर दिनाजपुर) में, डीपीआर में दर्शाये गये स्थल का कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सीबीआर) जांच रिपोर्ट, निष्पादन के समय जांच परिमाण के साथ नहीं मिलता था। परिणामस्वरूप, पांच मामलों में, डीपीआर में दर्शाये गए सड़क की मोटाई को निष्पादन के समय मिट्टी जांच परिणामों के आधार पर बदलना पड़ा था। तथापि, किए गए परिवर्तनों का अनुमोदन राज्य तकनीकी अभिकरण (एसटीए) से प्राप्त नहीं किया गया था।

अनुबंध- 4.3

क्रास जल निकासी एवं पुलों का निर्माण न होना

(पैरा 4.4.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आंध्रप्रदेश	संस्वीकृत 157 पुल निर्माणों 2010-11 में से, 115 निर्माण-कार्यो को जुलाई 2015 तक पूरा किया गया था। 12 पुल निर्माण-कार्यो को निर्माण स्थल की स्थितियों के अनुसार लागत में वृद्धि के कारण छोड़ने का प्रस्ताव था।
2.	असम	धुबरी आरआर प्रभाग में, मदैखली के बेगुन्ले ली तक सड़क के निर्माण को ₹2.91 करोड़ के अनुमानित लागत पर पाँच एचपीसी एवं एक आरसीसी पुल के प्रावधान के साथ अनुमोदित किया था। अभिलेख एवं सड़क के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में देखा गया कि पांच एचपीसी के प्रति पीआईयू ने केवल दो एचपीसी बनाया और पुल की लंबाई 58.20 मीटर से घटाकर 39.00 मीटर कर दी गयी थी। यह दर्शाता है कि डीपीआर को निर्माण स्थल की स्थितियो के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।
3.	बिहार	तीन जिलों (गया, गोपालगंज एवं नवादा) में, ₹29.61 करोड़ को 20 सड़कों में आवश्यक 131 सीडी के प्रति, 14 का निर्माण किया गया था।
4.	छत्तीसगढ़	पांच जिलों (बिलासपुर, जशपुर, कांकेर, रायपुर एवं राजनंदगांव) में सात निर्माण कार्यो में, दो से लेकर तीन सीडी कम बनाए गए थे।
5.	जम्मू व कश्मीर	10 सड़कों में, 269 पुलो/सीडी के प्रति, 170 का निर्माण किया गया था।
6.	कर्नाटक	तीन पीआईयू (हवेरी, कला बुरगी एवं उडुपी)में 187 के प्रति, 115 सीडी/पुल/कल्वर्ट का निर्माण हुआ था।
7.	राजस्थान	तीन जिलों (दौसा, डुंगरपुर एवं नागौर) में, 24 सड़कों में 50 से 100 प्रतिशत सीडी का निर्माण नहीं हुआ था।
8.	तेलंगाना	पीडब्ल्यूडी सड़क से तुर्क गुदेम, में क्रासं जल निकासी निर्माण कार्य का निष्पादन निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित चेनेज के बदले किसी दूसरे चेनेज पर किया गया था जिससे उनकी अरक्षिता बढ़ गयी।

अनुबंध-4.4

निर्माणकार्यों के निष्पादन में विलंब

(पैरा 4.4.8 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	निर्माण कार्य की सं.	विलंब की अवधि (माह)	कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा बताए गए कारण
1	आन्ध्र प्रदेश	22	1 से 12	भूमि/वन अनापत्ति, आदि की अनुपलब्धता
2	अरूणाचल प्रदेश	29	5 से 72	-
3	असम	233	1 से 97	वन सामग्री की अनुपलब्धता, बाढ़, बारिश, श्रम समस्या, निर्माण स्थल तक पहुंच न होना, हड़ताल, आदि।
4	बिहार	1243	24 से 60	धनराशि की कमी, सामग्री अनुपलब्धता
5	छत्तीसगढ़	12	1 से 84	ठेकेदारों के कारण विलंब
6	गुजरात	74	3 से 12	कठिन क्षेत्र, स्थानीय विरोध, वन अनापत्ति, धनराशि एवं मानसून की कमी, आदि।
7	हरियाणा	14	1 से 29	वन अनापत्ति प्राप्त न होना, विद्युत पोलो का स्थानांतरण, खनन पर प्रतिबंध, आदि।
8	हिमाचल प्रदेश	32	1 से 129	वन भूमि शामिल होना, ठेकेदारों का दोष।
9	जम्मू व कश्मीर	52	3 से 75	सार्वजनिक हस्तक्षेप, भूमि विवाद, संरचना हेतुक्षति-पूर्ति का भुगतान न होना, वन अनापत्ति आदि।
10	झारखंड	114	42 तक	धनराशि की कमी, नक्सल समस्यांए, पत्थर सामग्रियों की अनुपलब्धता आदि।
11	कर्नाटक	197	12 से 51	भूमि विवाद, बेमौसम बरसात, उपयोगिताओं का परिवर्तन।
12	केरल	33	1 से 95	उपयोगिताओं का परिवर्तन

क्र. सं.	राज्य	निर्माण कार्य की सं.	विलंब की अवधि (माह)	कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा बताए गए कारण
13	मध्यप्रदेश	205	6 से लेकर 24 से अधिक तक	खनन अनुमति में विलंब,सामग्री के परिवहन की अनुपलब्धता/ उसमें कठिनाई, भूमि विवाद, वन अनापत्ति, श्रम, जल की कमी आदि।
14	महाराष्ट्र	19	3 से 60	धनराशि की कमी, भूमि विवाद,बाध परियोजना से अनुमति प्राप्त न होना।
15	मणिपुर	61	24 से 60	-
16	मिजोरम	30	24 से 60 के ऊपर	-
17	उडीसा	572	1 से 60	
18	पंजाब	91	1 से 68	श्रमिकों की कमी, अपरिहार्य परिस्थितियां, निर्माण में उपयोग हेतु प्लास्टिक कचरे की जांच में देर, वन अनापत्ति एवं राज्य की खनन नीति।
19	राजस्थान	378	24 से 46	भूमि विवाद, भारी बरसात, पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता, आदि।
20	सिक्किम	311	12 से लेकर 84 से अधिक	वन अनापत्ति अलाइनमेंट में परिवर्तन, ठेकेदार की गलती
21	तमिलनाडु	1	13	केरल कॉयर मंडलद्वारा कॉयर मैंट(आविष्कारी/ वैकल्पिक सड़क निर्माण हेतुतकनीक) की आपूर्ति में विलंब के कारण
22	तेलंगाना	29	1 से 29	भूमि से संबंधित मुद्दा, वन अनापत्ति, अन्य प्रशासनिक कारण।
23	त्रिपुरा	55	2 से 53	भूमि अनापत्ति, अतिरिक्त क्रास जल निकासी एवं सड़क की ओर नाले का निर्माण।
24	उत्तर प्रदेश	367	3 से 36	--

क्र. सं.	राज्य	निर्माण कार्य की सं.	विलंब की अवधि (माह)	कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा बताए गए कारण
25	उत्तराखंड	85	2 से 24 के ऊपर तक	--
26	पश्चिम बंगाल	237	24 माह तक से 60 माह के ऊपर तक	भूमि-विवाद
	कुल	**4496**		

अनुबंध-4.5

लागत वृद्धि के कारण अधिक व्यय

(पैराग्राफ 4.4.10 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण कार्यों की सं.	लागत वृद्धि की राशि
1.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर, रायपुर तथा जशपुर में पांच पैकेजों (सीजी-0251,0246, 0266,1429 तथा 0729) के अतंर्गत कार्य को रद्द कर दिया गया था क्योंकि ठेकेदार ने समय पर कार्य समाप्त नहीं किया गया था। कुल ₹27.88 करोड़ के शेष निर्माण कार्योको ₹49.15 करोड़ की संविदा राशि पर सौंपा गया था।	5	21.27
2.	गुजरात	जिला पंचायत में, 2007-08 के दौरान दो निर्माण कार्यो (खेदपा ककराडुंगर सड़क (₹0.32 करोड़) तथा तालव देदकी फरकूवा सर्राव (₹0.87 करोड़) की भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुनर्निविदा की गई थी तथा इन्हें क्रमश: ₹0.72 करोड़ तथा ₹1.04 करोड़ की लागतपर पूर्ण कराया गया था।	2	0.57
3.	हिमाचल प्रदेश	काजा प्रभाग में ₹1.93 करोड़ हेतु संस्वीकृत पैकेज सं. एचपी-07-05 को ₹2.19 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण (सितबंर 2011) किया गया था।	1	0.26
4.	जम्मू एवं कश्मीर	पांच सड़क परियोजनाओं को ₹10.99 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति ₹12.93 करोड़ पर पूरा किया गया था।	5	1.94
5.	झारखंड	पशिचम सिंहभूम (एन पी सी सी) में 12 सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण की मूल अनुमानित लागत ₹31.06 करोड़ थी जिसे ₹7.79 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹38.85 करोड़ तक संशोधित किया गया था।	12	7.79
		भगवानबागी से महूगनकला (जिला हजारीबाग) तक तथा रूकाई से रामजल सूमिनबोर होते हुए पारो (जिला सिमडेगा) तक सड़क निर्माण कार्यो को ₹0.24 करोड़ तथा ₹0.14 करोड़ के भूयोजन तथा जीबीएस निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात फरवरी 2014 तथा अगस्त 2014 में रद्द कर दिया गयाथा। निर्माण कार्यो को कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विरूद्ध एनआरआरडीए	2	2.27

क्र.सं	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण कार्यों की सं.	लागत वृद्धि की राशि
		द्वारा ₹2.05 करोड़ तथा ₹2.18 करोड़ की लागत पर मार्च 2013 तथा फरवरी 2014 में फिर से संस्वीकृति मिली थी।		
6.	कर्नाटक	हवेरी में, मलनायकहल्ली से टी-08 (19.50 किमी) तक सड़क के सुधार का कार्य का ₹2.78 करोड़ का व्यय करने के पश्चात परित्याग कर दिया गया था। ₹3.54 करोड़ (सीएसआर के अनुसार ₹4.90 करोड़ तक संशोधित) की लागत पर अनुमानित शेष कार्य को ₹4.15 करोड़ की लागत पर अन्य ठेकेदार को सौपा गया था।	1	0.61
7.	केरल	पैकेज सं. के आर 0213बी 1 में कुल ₹0.11 करोड़ की संविदा के समापन तथा पुन:प्रबंधन के कारण लागत वृद्धि पाई गई थी।	1	0.11
		पैकेज सं. केआर0501को जोखिम तथा ठेकेदार की लागत पर दो बार बंद किया गया था। ठेकेदार से प्राप्त ₹4.25 करोड़ की अभी भी वसूली की जानी थी।	1	4.25
8.	मिजोरम	सकॉर्दई- जोमून सड़क के निर्माण कार्य को ठेकेदार के असंतोषक निष्पादन के कारण बंद कर दिया था। शेष कार्य (₹1.13 करोड़ की अनुमानित लागत) के अनुमान को ₹2.76 तक संशोधित किया गया था।	1	1.63
9.	ओडिशा	तीन पैकेजों (तटीय जिला बालासोर में जलेश्वर केआरडब्ल्यू प्रभाग के अंतर्गत पैकेज सं. ओ आर-02-एडी बी-45, ओ आर-02 एडी बी-08, ओ आर-02-253) के अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट पटरी का इसे कुल सड़क लंबाई के 20 प्रतिशत तक सीमित करने के बजाए 97 प्रतिशत तक निर्माण किया गया था।	3	1.71
		दो जिलों कालाहण्डी तथा सुंदरगढ़ में ₹8.47 करोड़ की लागत के चार निर्माण कार्यो को समापन की निर्धारित तिथियों से नौ से 36 महीनों के बीत जाने के पश्चात बंद कर दिया था। ₹7.15 करोड़ की कीमत के शेष निर्माण कार्यो को वर्तमान दर सारणी के अनुसार ₹10.51 करोड़ तक सुधारा गया था।	4	3.36

क्र.सं	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण कार्यों की सं.	लागत वृद्धि की राशि
10.	त्रिपुरा	तीन चयनित पैकेजों[4] में निर्माण कार्य सितंबर 2008 में सौपे गए थे। निर्माण कार्यो को कार्य की धीमी प्रगति के कारण जून 2012 में रद्द कर दिया गया था बा में शेष निर्माण कार्यो को उच्च दर पर सौपा गया था। जिसका परिणाम ₹0.73 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।	3	0.73
		गंदाचेरा से कालझाड़ी (विस्तार भाग-।।) तक सड़क कार्य की सीध में परिवर्तन के कारणअपरदन नियंत्रण तथा जल निकासी हेतु अतिरिक्त भूयोजन कार्य को ₹0.97 करोड़ की लागत पर किया गया था।	1	0.97
		जिला धलई में, मेंदी से मालाकरबस्ती (एल 04) तक सड़क कार्य का निर्माण ठेकेदार को स्पष्ट स्थल सूपूर्द न करने के कारण प्रारंभ नहीं किया गया था (मार्च 2011) कार्य को फिर से अनुमानित लागत से तीन प्रतिशत अधिक पर सौपा गया था तथा ₹1.33 करोड़ की लागतपर दिसंबर 2013 में पूरा किया गया था। इसके अतिरिक्त ₹0.28 करोड़ का व्यय किया गया था क्योंकि भूमि विवाद के कारण पुल की सीध को परिवर्तित किया गया था।	1	0.40
11.	उत्तराखंड	जिला अलमोडा तथा चमोली में तीन सड़क निर्माण कार्यो की सविदायों को 22 से 52 महीनों के पश्चात समादन किया गया था। नए एसओआर के अनुसार छोडे गए निर्माण कार्यो की लागत ₹8.62 करोड़ तक बढी।	3	8.62
		जिला अलमोडा में मनियागर से कोला (पैकेज सं. यूटी-01-05) के कार्य में ₹1.11 करोड़ की लागत की डी पी आर/ज एस बी की संस्वीकृत मद के स्थान पर डब्ल्यू बी एम का प्रतिस्थापन/निष्पादन हेतु प्रस्ताव को 21 महीनों के विलंब के पश्चात स्वीकार किया गया था। जिसका परिणाम कार्य की अतिरिक्त मदों हेतु ₹0.38 करोड़ की लागत वृद्धि में हुआ।	1	0.38
	कुल		**47**	**56.87**

[4] टीआर-04-63, टीआर-04-126, टीआर-04-12

अनुबंध-4.6(क)

अपूर्ण निर्माण कार्य

(पैराग्राफ 4.4.12 के संदर्भ में)

क्र सं	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण कार्यों की सं.	अब तक किया गया व्यय (₹करोड़ में)
1	असम	ढुबरी जिले में, पर जल निकासी निर्माण कार्य सहित सुकचर से गोटबड़ी तक सड़क के निर्माण का कार्य (पैकेज सं. एएस 05-36) कार्य स्थल तक निर्माण सामग्री लाने हेतु वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता हेतु ₹1.74 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अप्रैल 2010 से परित्यक्त पड़ा था।	1	1.74
		ढुबरी जिले में, नयर अलगा गोरंग घाट से गुटीपाडा IV तक सड़क का निर्माण (पैकेज सं. एएस 05-41) ₹11.32 करोड़ का कार्य निष्पादित करने के पश्चात सितंबर 2013 से परिव्यक्त पडा था क्योंकि परियोजना क्षेत्र एक सप्ताह तक जलमग्न हो गया था जिससे निर्मित आर सी सी पुलों सहित सड़क को भारी क्षति हुई थी। पीआईयू ने जनवरी 2014 में पैकेज को रद्द कर दिया।	1	11.32
		ढुबरी जिले में, सात सड़क निर्माण कार्यों (चरण-VII 2007-08 का पैकेज सं. ए एस 05-46) में ठेकेदार ने ₹1.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के पश्चात (अक्तूबर 2011), बाद के कारण स्थल तक न पहुंचे जाने के कारण पैकेज को पूरा करने में अपनी असमर्थता को व्यक्त किया। कार्य कार्यान्वयन अभिकरण ने जून 2013 में पैकेज को रद्द कर दिया।	7	1.57
		उत्तर टोकरेछोर से होते हुए पुराने एनएच-31 से सड़क पर पुल का निर्माण पैकेज सं. ए एस-05-75 (2012-13) जोखिम भरा था क्योंकि एसटीपी पुल के साथ 700 मीटर सड़क जून 2013 में गंगाधर नदी में बाढ से बह गया था।	1	0.17
		काटमोनी पिप्लापूंज सड़क से सड़क निर्माण कार्यों (पैकेज सं. एएस 13-23) के मूल डीपीआर को गैर क्रियात्मक पाया गया था क्योंकि लोगई नदी पर पुल को डीपीआर के अनुसार निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वहां माना गया था, परंतु उसका निर्माण नहीं किया गया था (सितंबर 2015)। निर्माण सामग्री ले जाने हेतु ₹0.29 करोड़ की लागत पर निर्मित सेतुक बाढ़ के कारण टूट गया था तथा	1	1.39

क्र सं	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण कार्यों की सं.	अब तक किया गया व्यय (₹करोड़ में)
		सामग्री ले जाने हेतु बेकार हो गया था। अप्रैल 2010 तक केवल ₹1.10 करोड़ की कीमत का सड़क कार्य निष्पादित किया गया था तथा मई 2010 से बंद पडा था।		
2	हिमाचल प्रदेश	बांगट से पनवी तक सड़क के निर्माण का कार्य (पैकेज सं. एचपी-05-15-2005-06) ₹3.07 करोड़ की सीमा तक निष्पादित किए जाने के पश्चात सड़क की सीध पर निजी एवं वन भूमि के शामिल होने के कारण अक्टूबर 2007 से बंद पडा था।	1	3.07
		निजी भूमि के स्थानांतरण को सुनिश्चित किए बिना 2010-12 के दौरान ₹3.03 करोड़ की करार लागत पर निष्पादन हेतु प्रारंभ तीन पैकेज (एचपी 04172, एचपी 04171 तथा एचपी 03107) अपूर्ण पडे थे।	3	2.31
3	जम्मू एवं कश्मीर	छः जिलों में 44 सड़क परियोजनाए पांच वर्षो से अधिक के विलंब तथा ₹102.34 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी भूमि विवाद, वन विभाग से सड़क सड़क परियोजनाओं की गैर-स्वीकृति, सड़कों की प्रारंभ स्थान की अनुपलब्धता आदि के कारण पूर्ण नहीं की गई थी।	44	102.34
4	झारखंड	चार जिलों (देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा तथा पश्चिम सिगंभूम) में सात सडके तथा एक पुल लगभग 6885 मीटर वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण ₹7.06 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रहे।	8	7.06
5	मध्य प्रदेश	चकपीपला सड़क (12.90 किमी) तक एम डी आर का निर्माण चार ग्रामों को संयोजकता प्रदान करने हेतु स्वीकृत किया गया था। तथापि, सड़क को वन विभाग से स्वीकृति की मांग के कारण अन्य तीन को असंपन्न छोडते हुए केवल ग्राम सुना (4.20 किमी) तक पूरा किया गया था।	1	1.23
			68	**132.20**

अनुबंध-4.6(ख)

अधूरे निर्माण-कार्य

(ठेकेदारों की गलती के कारण)

(पैरा 4.4.12 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
1	असम	कटमोनी से पिपलापुंज सड़क (पैकेज सं. एएस 13-40, पीआईयू, करीमगंज आरआर प्रभाग, करीमगंज) नामक सड़क निर्माण कार्य को अनुबधीय कायित्वों का पालन नहीं किए जाने के कारण समाप्त (जनवरी 2015) कर दिया गया था क्योंकि ₹0.49 करोड़ का निर्माण कार्य करने के बाद अगस्त 2011 के बाद ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया गया था।	1	0.49
		सिलचर जिले में, 12 पैकेजों[5], जिसमें छः पुल शामिल थे, के अंतर्गत 23 सड़क निर्माण कार्यो को समाप्ति की निर्धारित तिथि से दो से लेकर चार वर्ष से अधिक की अवधि बीज जाने के बाद, ठेकेदारों द्वारा अनुबंधीय दायित्व का पालन नहीं किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया था। कार्यान्वयन अभिकरण ने परिव्यक्त निर्माण-कार्यो पर ₹27.24 करोड़ खर्च किया। समाप्त किए गए पैकेजों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें पुन: आबंटित नहीं किया गया (अगस्त 2015)।	21	27.24
		सिलचर जिले में, पैकेज सं. एएस 03-26 के अंतर्गत दो सड़क निर्माण कार्यो (गनीराम 11 से दोदपूर तथा तेलीनकर से जगदीशपुर) में कार्य निष्पादन अभिकरण ने ठेकेदार द्वारा संविदाग्र बाध्यताओं के उल्लंघनहेतु अप्रैल 2014 में कार्य को रद्द कर दिया। समापन से पूर्व, ठेकेंदार को ₹1.02 करोड़ अदा किए गए थे। आंशिक रूप से निष्पादित कार्य बंद पडा था।	2	1.02
2	झारखंड	चाईबासा जिले में, पीडब्ल्यूडी लोकसई से जितया तक सड़क (पैकेज जेएच 2211) के निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य को, ₹1.27 करोड़ के व्यय के बाद ठेकेदार एवं	1	1.27

[5] 1. एएस 03-26; 2. एएस 03-55; 3. एएस 03-56; 4. एएस 03-59; 5. एएस 03-65; 6. एएस 03-67; 7. एएस 03-68; 8. 03-90; 9. एएस 03-93; 10. एएस 03-98; 11. एएस 03-116 (बी) एवं 12. एएस 03-121.

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां	निर्माण की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
		प्रभाग के मध्य विवाद के कारण मई 2015 में निरस्त कर दिया गया। ।		
3	मिजोरम	चंफई प्रभाग में, पैकेज सं. एम जेड-02-डब्ल्यू बी-01 के अंतर्गत, सड़क निर्माण) खौगलेंग-बुंगजुंग सड़क को संस्वीकृत लागत ₹5.87 करोड़ के प्रति ₹3.96 करोड़ तक निष्पादित किया गया था। एन क्यू एम ने निर्माण को असंतोषजनक बताया (दिसंबर 2013) था। उसके बाद, ठेकेदार ने दिसंबर 2014 में निर्माण का परित्याग कर दिया।	1	3.96
4	त्रिपुरा	दो बस्तियों सत्यराम पाड़ा एवं सुरेंद्र रेयांग पाड़ा को शामिल करने के लिए एए सड़क से बदावन पाडाके निर्माण के कार्य को जून 2013 में ठेकेदार के जोखिम एवं खर्चे पर निरस्त कर दिया गया और ठेकेदार को ₹2.96 करोड़ अदा किया गया था। शेष कार्य को अभी सौपा जाना था (जून 2015)।	1	2.96
			27	**36.94**

अनुबंध-4.7

अनुरक्षण निधि क निर्गम एवं उपयोग के आंकडों में भिन्नता

(पैरा 4.5.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	एनआरआरडीए के अनुसार आंकडे		राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत आंकडे	
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय
1	आंध्रप्रदेश	104.25	47.48	68.76	49.07
2	अरूणाचल प्रदेश	30.95	38.63	35.45	56
3	बिहार	210.48	291.1	230.25	293
4	हरियाणा	16.68	13.70	19.12	12.25
5	हिमाचल प्रदेश	129.44	62.83	204.3	134.97
6	जम्मू व कश्मीर	17.6	3.72	20.66	3.62
7	झारखंड	179.48	12.14	179.48	108.46
8	मणिपुर	17.64	14.68	14.00	14.23
9	मेघालय	22.85	15.02	25.75	9.95
10	पंजाब	23.01	65.07	29.13	28.76
11	राजस्थान	158.34	125.87	158.35	126.56
12	सिक्किम	29.59	23.37	29.11	23.36
13	तमिलनाडु	29.2	22.04	36.69	28.49
14	त्रिपुरा	67.65	30.107	67.65	29.55
15	उत्तर प्रदेश	277.79	272.07	263.34	263.78
16	उत्तराखंड	76.12	70.55	50.73	52.29
17	पश्चिम बंगाल	175.92	122.05	525.01	94.43

अनुबंध-4.8

अनुरक्षण निधि का निर्गम एवं उपयोग

(पैरा 4.5.1 के संदर्भ में)

राज्य	आवश्य/जारी/खर्चअनुरक्षण निधि				एनक्यूएम रिपोर्ट के अनुसार बने सड़कों का अनुरक्षण					
	आवश्यक अनुरक्षण निधि (अनुबंध के अनुसार)	एसआरआरडीए को वास्तविक निर्गम	वित्त वर्ष के दौरान एसआरआरडीए द्वारा व्यय	व्यय की प्रतिशतता	एनक्यूएम द्वारा निरीक्षित सड़कों की सं.	अनुरक्षित	निम्न स्तरीय अनुरक्षित		गैर अनुरक्षित	
							सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
आंध्रप्रदेश	126.43	104.25	47.48	37.55	330	107	174	52.73	49	14.85
अरूणाचल प्रदेश	23.65	30.95	38.63	163.34	53	21	23	43.40	9	16.98
असम	91.99	87.11	45.71	49.69	415	129	198	47.71	88	21.20
बिहार	463.66	210.48	291.10	62.78	354	137	110	31.07	107	30.23
छत्तीसगढ	129.68	106.88	79.18	61.06	406	134	197	48.52	75	18.47
गुजरात	48.88	82.38	47.67	97.52	158	68	70	44.30	20	12.66
हरियाणा	40.46	16.68	14.43	35.66	70	31	29	41.43	10	14.29
हिमाचल प्रदेश	152.99	129.44	62.83	41.07	156	56	42	26.92	58	37.18
जम्मू व कश्मीर	24.137	17.60	3.72	15.41	71	25	32	45.07	14	19.72
झारखंड	133.88	179.48	12.14	9.07	282	51	132	46.81	99	35.11
कर्नाटक	149.06	120.83	112.93	75.76	235	108	82	34.89	45	19.15

राज्य	आवश्य/जारी/खर्चअनुरक्षण निधि				एनक्यूएम रिपोर्ट के अनुसार बने सड़कों का अनुरक्षण					
	आवश्यक अनुरक्षण निधि (अनुबंध के अनुसार)	एसआरआरडीए को वास्तविक निर्गम	वित्त वर्ष के दौरान एसआरआरडीए द्वारा व्यय	व्यय की प्रतिशतता	एनक्यूएम द्वारा निरीक्षित सड़कों की सं.	अनुरक्षित	निम्न स्तरीय अनुरक्षित		गैर अनुरक्षित	
							सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
केरल	35.83	35.48	28.13	78.51	99	43	38	38.38	18	18.18
मध्यप्रदेश	438.36	586.42	298.04	67.99	1035	585	351	33.91	99	9.57
महाराष्ट्र	175.40	230.10	176.42	100.58	406	134	202	49.75	70	17.24
मणिपुर	11.88	17.64	14.68	123.57	55	17	26	47.27	12	21.82
मेघालय	26.30	22.85	15.02	57.11	40	7	20	50.00	13	32.50
मिजोरम	1.74	1.74	1.273	73.16	15	6	4	26.67	5	33.33
नागालैंड	19.00	15.77	12.72	66.95	34	10	14	41.18	10	29.41
ओडिसा	218.06	184.40	156.27	71.66	556	227	237	42.63	92	16.55
पंजाब	42.23	23.01	27.48	65.07	196	116	66	33.67	14	7.14
राजस्थान	185.08	158.34	125.87	68.01	475	205	217	45.68	53	11.16
सिक्किम	24.42	29.59	23.37	95.70	31	11	8	25.81	12	38.71
तमिलनाडु	38.83	29.20	22.04	56.76	258	40	120	46.51	98	37.98
त्रिपुरा	63.11	67.65	30.11	43.68	87	36	33	37.93	18	20.69
उत्तरप्रदेश	352.58	277.79	272.07	77.17	862	272	428	49.65	162	18.79
उत्तराखंड	87.74	76.12	70.55	80.41	72	16	36	50.00	20	27.78

राज्य	आवश्य/जारी/खर्चअनुरक्षण निधि				एनक्यूएम रिपोर्ट के अनुसार बने सड़कों का अनुरक्षण					
	आवश्यक अनुरक्षण निधि (अनुबंध के अनुसार)	एसआरआरडीए को वास्तविक निर्गम	वित्त वर्ष के दौरान एसआरआरडीए द्वारा व्यय	व्यय की प्रतिशतता	एनक्यूएम द्वारा निरीक्षित सड़कों की सं.	अनुरक्षित	निम्न स्तरीय अनुरक्षित		गैर अनुरक्षित	
							सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	174.59	175.92	122.05	69.91	393	87	206	52.42	100	25.45
कुल	**3279.97**	**3018.10**	**2151.91**	**65.61**	**7144**	**2679**	**3095**	**43.32**	**1370**	**19.18**

अनुबंध -5.1

राज्य एवं वर्ष वार केन्द्रीय निर्गम तथा उपयोगिता

(पैराग्राफ 5.3.1 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	672.15	473.94	607.48	291.75	0.00	205.66	5.00	152.56	33.86	330.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	371.87	348.85	214.27	173.37	455.18	310.54	8.00	249.36	345.92	362.58
3.	असम	1900.67	1300.79	1682.84	1312.18	154.27	522.78	240.49	699.01	316.07	538.22
4.	बिहार	3477.06	2694.91	3374.25	2847.08	1326.57	1992.21	850.83	1844.95	1548.16	2259.30
5.	छत्तीसगढ़	678.58	304.16	801.51	244.35	0.00	281.41	0.00	713.58	270.75	925.18
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	322.43	243.84	66.59	150.55	125.74	99.54	519.24	477.40	418.77	685.91
8.	हरियाणा	157.75	108.03	60.00	60.80	0.00	36.53	0.00	8.19	218.96	383.83
9.	हिमाचल प्रदेश	199.30	142.67	310.30	119.17	0.00	55.19	0.00	148.13	99.40	215.04
10.	जम्मू एवं कश्मीर	366.09	297.40	762.10	508.43	266.33	459.69	523.24	534.01	416.60	422.73
11.	झारखण्ड	843.81	538.44	860.74	323.23	105.96	325.61	21.86	539.55	249.48	785.02

क्र.सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय
12.	कर्नाटक	927.68	634.80	0.00	256.62	24.60	16.63	5.00	7.68	237.00	411.23
13.	केरल	146.27	146.14	200.00	58.07	1.50	57.30	1.50	121.15	151.41	190.59
14.	मध्य प्रदेश	1966.12	1409.49	1138.05	894.17	242.88	741.11	615.00	1393.07	708.00	1667.32
15.	महाराष्ट्र	1242.55	1012.48	796.01	546.05	0.00	153.40	0.00	383.50	212.53	540.37
16.	मणिपुर	144.98	122.34	177.53	166.52	186.14	92.66	4.03	139.67	100.00	173.94
17.	मेघालय	64.55	36.39	38.00	27.68	50.00	32.46	0.00	37.70	62.56	83.24
18.	मिजोरम	95.59	82.24	93.63	85.47	71.82	41.95	0.00	26.60	54.74	72.35
19.	नागालैंड	25.13	29.67	11.00	12.26	194.88	109.83	0.00	77.45	58.99	50.47
20.	ओडिशा	2477.36	1924.25	1969.95	1235.78	87.25	1188.92	758.92	1605.72	1051.50	1666.10
21.	पंजाब	196.43	155.34	164.61	61.49	169.66	238.16	117.68	295.61	310.21	285.03
22.	राजस्थान	886.22	686.39	667.76	247.63	151.90	573.85	427.06	718.35	425.66	649.97
23.	सिक्किम	79.38	85.53	80.00	13.93	193.62	86.73	1.97	90.57	94.59	94.50
24.	तमिलनाडु	469.54	304.81	160.00	211.36	77.72	21.13	343.48	383.39	239.65	580.72
25.	त्रिपुरा	285.76	237.51	229.79	230.22	338.59	189.79	98.83	232.76	187.36	322.83
26.	उत्तर प्रदेश	1308.83	868.54	213.77	194.84	10.00	98.00	511.93	824.25	638.70	1002.26

क्र.सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय
27.	उत्तराखण्ड	240.26	191.74	300.32	255.48	151.24	32.39	0.00	260.64	314.92	425.17
28.	पश्चिम बंगाल	819.68	530.29	828.90	417.93	3.08	423.28	306.17	1130.44	1193.80	1414.20
	कुल	**20366.04**	**14910.98**	**15809.40**	**10946.41**	**4388.93**	**8386.75**	**5360.23**	**13095.29**	**9959.59**	**16538.35**

2010-15 के दौरान गोवा को निधि जारी नहीं की गई थी।

अनुबंध -5.2

पिछले पांच वर्ष के दौरान उपलब्धियाँ

राज्य तथा वर्ष वार भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

(पैराग्राफ 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल
1.	आंध्र प्रदेश	200	2150	291	2121.48	75	1189	119	932.14	27	400	32	400.35	34	475	0	191.58	20	514	394	595.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	178	38	366.87	20	196	40	419.21	7	325	24	393.67	4	340	16	489.04	14	450	1	546.58
3.	असम	400	2008	696	2057.11	500	1224	444	2131.43	237	1175	356	1456.16	160	650	257	957.96	228	720	284	869.81
4.	बिहार	910	4644	1551	2515.13	1350	6000	2447	7539.82	1287	6420	2616	6341.62	930	3840	1225	3163.86	1590	2900	2158	3631.94
5.	छत्तीसगढ़	124	906	335	1570.66	40	1500	291	1053.69	282	2370	221	1024.08	235	1900	896	1292.05	165	620	975	2648.14
6.	गोवा	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	गुजरात	100	596	242	605.97	50	425	173	431.44	16	140	68	180.47	42	200	375	896.29	52	990	82	1892.16
8.	हरियाणा	0	200	0	389.24	0	292	0	188.31	0	30	0	69.26	0	30	0	3.28	0	355	0	633.39
9.	हिमाचल प्रदेश	75	693	35	661.82	25	750	46	761.09	70	980	0	0.00	40	550	0	134.49	35	260	85	484.97
10.	जम्मू एवं कश्मीर	75	367	108	474.00	25	750	201	999.62	104	1335	178	1411.10	100	1285	143	891.79	50	750	108	934.66

क्र.सं.	राज्य	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल
11.	झारखण्ड	400	1482	1059	1599.25	300	1005	459	1123.03	397	2010	759	1236.74	340	1880	362	1030.73	330	703	769	1750.32
12.	कर्नाटक	0	1000	0	1848.93	0	1204	0	1858.64	0	205	0	386.02	0	90	0	211.43	0	650	6	627.68
13.	केरल	6	156	7	245.87	20	446	8	214.14	10	390	3	108.71	6	240	5	192.46	7	348	5	345.75
14.	मध्य प्रदेश	400	4488	618	9163.26	400	3719	776	2926.66	241	2760	645	2754.18	400	3350	411	3006.27	495	2100	1278	5180.92
15.	महाराष्ट्र	15	1292	0	3718.27	20	1700	48	2592.46	11	680	58	649.54	15	440	0	448.88	10	550	33	499.97
16.	मणिपुर	40	335	35	487.42	20	150	63	374.61	20	60	52	424.48	15	160	67	533.12	10	236	32	300.01
17.	मेघालय	15	64	8	83.31	10	100	6	44.67	9	60	9	22.77	5	40	14	23.68	15	105	11	47.20
18.	मिजोरम	25	150	35	252.13	10	100	4	130.90	4	120	5	93.20	2	50	18	77.28	5	115	1	48.60
19.	नागालैंड	10	150	9	86.00	5	200	6	24.89	0	310	0	93.50	1	190	0	293.20	1	160	0	215.30
20.	ओडिशा	450	3800	971	4941.90	400	2400	574	3167.06	490	4170	435	2401.26	400	3460	700	3063.22	542	2400	1287	3842.69
21.	पंजाब	0	500	0	622.72	5	593	0	71.76	2	165	1	325.54	2	340	6	730.38	0	650	0	737.46
22.	राजस्थान	25	1700	35	3019.47	75	400	20	450.78	195	1975	607	2140.00	184	1580	579	2290.31	302	1550	1254	3233.34
23.	सिक्किम	25	147	18	85.72	40	154	24	74.98	17	270	25	48.44	10	175	19	99.36	5	100	13	120.92
24.	तमिलनाडु	10	1020	2	2229.01	10	1058	9	814.10	1	80	0	42.39	5	685	0	747.94	0	379	14	1965.28
25.	त्रिपुरा	75	400	260	432.11	75	314	201	352.17	46	340	110	241.92	20	170	85	291.46	50	250	78	239.42

क्र.सं.	राज्य	2010-11				2011-12				2012-13				2013-14				2014-15			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल	एच	एल
26.	उत्तर प्रदेश	150	3207	228	3593.79	75	3000	55	522.53	102	1230	0	269.78	130	2320	0	1109.79	120	1445	0	2000.34
27.	उत्तराखण्ड	60	320	120	551.88	50	350	68	639.58	50	560	24	474.43	30	500	26	405.16	42	625	71	714.62
28.	पश्चिम बंगाल	400	2137	883	1385.20	400	1347	455	1154.79	375	1440	636	1171.67	390	2010	1356	2741.38	600	1850	1860	2232.88
	कुल	**4000**	**34090**	**7584**	**45108.52**	**4000**	**30566**	**6537**	**30994.50**	**4000**	**30000**	**6864**	**24161.28**	**3500**	**26950**	**6560**	**25316.39**	**4688**	**21775**	**10799**	**36339.48**

एच- निवास, एल- लंबाई किलोमीटर में

अनुबंध -5.3.1

राज्यों द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति (2010-11)

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अथ शेष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	अंत शेष
आंध्र प्रदेश	94.68	696.09*	0	-16.70	774.07	534.19	239.88
अरूणाचल प्रदेश	18.39	377.16	0	2.14	397.69	332.74	64.95
असम	180.57	1900.73	0.00	8.64	2089.94	1386.02	703.92
बिहार	430.74	3253.41	73.50	19.82	3777.47	2656.88	1120.59
छत्तीसगढ़	149.97	678.58	0.00	27.59	856.14	309.05	547.09
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	9.29	322.43	30.00	1.57	363.29	274.90	88.39
हरियाणा	9.57	157.75	5.42	0.64	173.38	111.47	61.91
हिमाचल प्रदेश	43.71	199.30	0.00	8.22	251.23	149.55	101.68
जम्मू एवं कश्मीर	34.01	366.09	0.00	1.91	402.01	296.25	105.76
झारखण्ड	22.26	838.81	4.00	2.69	867.76	564.27	303.49
कर्नाटक	93.41	917.67	187.00	5.12	1203.20	670.29	532.91
केरल	1.61	144.27	25.00	0.76	171.64	166.57	5.07
मध्य प्रदेश	698.81	1966.11	201.53	68.91	2935.36	1421.75	1513.61
महाराष्ट्र	151.68	1242.55	31.50	176.20	1601.93	1072.25	529.68
मणिपुर	22.87	88.83	2.50	23.64	137.84	135.84	2.00
मेघालय	16.65	64.55	0.19	0.77	82.16	41.80	40.36
मिजोरम	-0.75	95.59	0.00	0.14	94.98	88.61	6.37
नागालैंड	27.06	25.13	0.00	1.42	53.61	34.85	18.76
ओडिशा	83.34	2245.10	98.30	12.20	2438.94	1930.18	508.76
पंजाब	59.07	194.43	0	0.31	253.81	155.25	98.56
राजस्थान	350.85	886.22	0	9.67	1246.74	686.37	560.37
सिक्किम	2.61	79.38	0	0.59	82.58	68.45	14.13
तमिलनाडु	32.86	322.12	1.39	1.32	357.69	365.74	-8.05

त्रिपुरा	-1.45	257.91	0.00	1.70	258.16	279.70	-21.54
उत्तर प्रदेश	251.83	1308.83	2.18	28.87	1591.71	958.43	633.28
उत्तराखण्ड	66.82	237.96	4.60	3.79	313.17	200.73	112.44
पश्चिम बंगाल	134.27	819.67	15.26	39.12	1008.32	537.69	470.63
कुल	**2984.73**	**19686.67**	**682.37**	**431.05**	**23784.82**	**15429.82**	**8355.00**

*** मार्च 2010 में मंत्रालय द्वारा ₹ 23.93 करोड़ अवमुक्त किया गया था तथा अप्रैल 2010 में क्रेडिट किया गया था।**

अनुबंध -5.3.2

राज्यों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति (2011-12)

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अथ शेष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	अंत शेष
आंध्र प्रदेश	239.88	607.48	0.00	33.77	881.13	281.51	599.62
अरूणाचल प्रदेश	64.95	231.98	0.00	4.12	301.05	198.34	102.71
असम	703.92	1682.84	32.84	18.33	2437.93	1160.64	1277.29
बिहार	1120.59	3475.41	30.00	81.07	4707.07	2885.43	1821.64
छत्तीसगढ़	547.09	801.52	11.04	27.14	1386.79	230.22	1156.57
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	88.39	66.59	0.00	-6.15	148.83	94.46	52.37
हरियाणा	61.91	60.00	17.14	4.46	143.51	62.99	80.52
हिमाचल प्रदेश	101.68	305.30	0.94	23.68	431.60	117.16	314.44
जम्मू एवं कश्मीर	105.76	762.10	0.00	16.33	884.19	512.62	371.57
झारखण्ड	303.49	843.08	0.00	33.75	1180.32	355.89	824.43
कर्नाटक	532.91	0.00	87.00	23.53	643.44	437.99	205.45
केरल	5.07	200.00	20.05	0.67	225.79	41.42	184.37
मध्य प्रदेश	1513.61	1138.05	169.62	76.93	2898.21	880.99	2017.22
महाराष्ट्र	529.68	791.01	31.25	16.68	1368.62	583.87	784.75
मणिपुर	2.00	233.68	2.75	2.79	241.22	164.87	76.35
मेघालय	40.36	38.00	0.64	4.48	83.48	23.95	59.53
मिजोरम	6.37	93.62	0.00	3.43	103.42	78.73	24.69
नागालैंड	18.76	10.00	0.00	1.34	30.10	15.09	15.01
ओडिशा	508.76	2187.22	135.00	104.13	2935.11	1235.02	1700.09
पंजाब	98.56	164.61	2.00	2.63	267.80	62.33	205.47
राजस्थान	560.37	667.76	0	32.31	1260.44	247.44	1013.00
सिक्किम	14.13	80.00	0	4.90	99.03	64.09	34.94
तमिलनाडु	-8.05	307.41	0	5.15	304.51	159.62	144.89

त्रिपुरा	-21.54	206.39	0.00	0.42	185.27	198.52	-13.25
उत्तर प्रदेश	633.28	213.77	2.11	38.36	887.52	249.94	637.58
उत्तराखण्ड	112.44	295.32	2.21	5.89	415.86	201.57	214.29
पश्चिम बंगाल	470.63	828.90	35.61	19.23	1354.37	433.49	920.88
कुल	**8355.00**	**16292.04**	**580.20**	**579.37**	**25806.61**	**10978.19**	**14826.42**

अनुबंध-5.3.3

राज्यों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति (2012-13)

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अथ शेष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	अंत शेष
आंध्र प्रदेश	599.62	0.00	0.00	14.33	613.95	199.57	414.38
अरूणाचल प्रदेश	102.71	453.18	0.70	1.47	558.06	270.36	287.70
असम	1277.29	154.33	110.00	51.89	1593.51	656.54	936.97
बिहार	1821.64	1294.45	150.00	144.11	3410.20	2063.41	1346.79
छत्तीसगढ़	1156.57	0.00	26.23	110.31	1293.11	277.03	1016.08
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	52.37	125.74	0.00	7.57	185.68	155.95	29.73
हरियाणा	80.52	1.40	0	7.08	89.00	30.65	58.35
हिमाचल प्रदेश	314.44	0.00	4.07	28.20	346.71	126.33	220.38
जम्मू एवं कश्मीर	371.57	266.33	0.00	25.98	663.88	463.78	200.10
झारखण्ड	824.43	100.96	45.00	88.39	1058.78	375.00	683.78
कर्नाटक	205.45	14.60	48.72	14.50	283.27	132.27	151.00
केरल	184.37	0.00	5.00	14.13	203.50	59.35	144.15
मध्य प्रदेश	2017.22	237.88	1.97	273.43	2530.50	735.46	1795.04
महाराष्ट्र	784.75	0.00	28.00	53.07	865.82	231.35	634.47
मणिपुर	76.35	186.14	3.10	4.73	270.32	90.58	179.74
मेघालय	59.53	50.10	0.00	2.05	111.68	32.41	79.27
मिजोरम	24.69	71.82	0.00	2.20	98.71	36.87	61.84
नागालैंड	15.01	194.88	0.00	2.93	212.82	104.21	108.61
ओडिशा	1700.09	82.25	90.00	130.28	2002.62	1249.82	752.80
पंजाब	205.47	169.66	0	13.74	388.87	228.19	160.68
राजस्थान	1013.00	146.90	0	84.63	1244.53	574.05	670.48
सिक्किम	34.94	193.71	0	1.59	230.24	70.24	160.00

तमिलनाडु	144.89	73.60	0	15.74	234.23	23.24	210.99
त्रिपुरा	-13.25	323.16	0.00	86.56	396.47	205.86	190.61
उत्तर प्रदेश	637.58	10.00	1.95	7.85	657.38	173.88	483.50
उत्तराखण्ड	214.29	149.24	1.60	30.03	395.16	108.44	286.72
पश्चिम बंगाल	920.88	3.08	15.31	81.87	1021.14	431.90	589.24
कुल	**14826.42**	**4303.41**	**531.65**	**1298.66**	**20960.14**	**9106.74**	**11853.40**

अनुबंध-5.3.4

राज्यों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति (2013-14)

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अथ शेष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	अंत शेष
आंध्र प्रदेश	414.38	5.00	39.23	52.01	510.62	220.29	290.33
अरूणाचल प्रदेश	287.70	0.00	1.00	16.86	305.56	278.75	26.81
असम	936.97	240.49	97.99	57.45	1332.90	749.84	583.06
बिहार	1346.79	812.68	159.33	114.02	2432.82	2067.37	365.45
छत्तीसगढ़	1016.08	0.00	66.00	102.69	1184.77	655.93	528.84
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	29.73	519.24	7.50	16.57	573.04	511.36	61.68
हरियाणा	58.35	0.00	0	5.36	63.71	12.16	51.55
हिमाचल प्रदेश	220.38	0.00	3.04	16.46	239.88	140.10	99.78
जम्मू एवं कश्मीर	200.10	523.24	0.00	29.19	752.53	537.26	215.27
झारखण्ड	683.78	17.66	0.00	60.34	761.78	498.84	262.94
कर्नाटक	151.00	0.00	42.40	13.85	207.25	48.38	158.87
केरल	144.15	0.00	0.00	10.88	155.03	122.74	32.29
मध्य प्रदेश	1795.04	600.00	2.00	157.32	2554.36	1402.89	1151.47
महाराष्ट्र	634.47	0.00	51.20	59.67	745.34	437.34	308.00
मणिपुर	179.74	4.03	4.80	2.10	190.67	138.43	52.24
मेघालय	79.27	2.87	0.00	2.48	84.62	47.70	36.92
मिजोरम	61.84	0.06	0.23	2.87	65.00	38.45	26.55
नागालैंड	108.61	0.00	0.00	2.85	111.46	75.10	36.36
ओडिशा	752.80	748.91	560.36	-351.55	1710.52	1654.96	55.56
पंजाब	160.68	117.68	0	9.44	287.80	286.91	0.89
राजस्थान	670.48	416.69	0	69.20	1156.37	718.36	438.01
सिक्किम	157.02*	2.07	0	5.33	164.42	113.88	50.54
तमिलनाडु	210.99	343.48	65.37	27.67	647.51	343.76	303.75
त्रिपुरा	190.61	73.83	20.00	49.53	333.97	269.51	64.46

उत्तर प्रदेश	483.50	513.58	0.00	121.69	1118.77	951.71	167.06
उत्तराखण्ड	286.72	0.00	0.00	19.40	306.12	297.74	8.38
पश्चिम बंगाल	589.24	306.17	256.29	34.06	1185.76	1077.93	107.83
कुल	**11850.42**	**5247.68**	**1376.74**	**707.74**	**19182.58**	**13697.69**	**5484.89**

*** ₹ 2.98 करोड़ पृथक लेखा में हस्तांतरित किया गया था।**

अनुबंध-5.3.5

राज्यो द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय स्थिति(2014-15)

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	अथ शेष	केन्द्र अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्ति	कुल	व्यय	अंत शेष
आंध्र प्रदेश#	290.33	32.98	95.55	4.55	423.41	363.06	60.35
अरूणाचल प्रदेश	26.81	342.25	0.00	1.83	370.89	359.50	11.39
असम	583.06	317.09	0.00	46.03	946.18	561.92	384.26
बिहार	365.45	1530.71	300.00	48.92	2245.08	2394.41	-149.33
छत्तीसगढ़	528.84	270.75	71.56	38.55	909.70	911.80	-2.10
गोवा	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	61.68	391.25	151.00	31.21	635.14	625.01	10.13
हरियाणा	51.55	245.75	81.42	10.53	389.25	408.78	-19.53
हिमाचल प्रदेश	99.78	84.40	2.56	4.10	190.84	197.88	-7.04
जम्मू एवं कश्मीर	215.27	416.60	0.00	15.55	647.42	424.61	222.81
झारखण्ड	262.94	112.00	10.00	2.87	387.81	707.51	-319.70
कर्नाटक	158.87	235.22	84.32	9.50	487.91	433.20	54.71
केरल	32.29	150.00	8.00	3.61	193.90	182.89	11.01
मध्य प्रदेश	1151.47	708.00	324.93	157.24	2341.64	1887.52	454.12
महाराष्ट्र	308.00	207.66	87.37	37.65	640.68	578.30	62.38
मणिपुर	52.24	100.92	4.79	24.80	182.75	172.56	10.19
मेघालय	36.92	64.80	1.39	5.01	108.12	96.02	12.10
मिजोरम	26.55	55.55	0.00	0.79	82.89	74.40	8.49
नागालैंड	36.36	58.65	0.37	4.10	99.48	48.10	51.38
ओडिशा	55.56	1209.93	0.00	42.52	1308.01	1677.23	-369.22
पंजाब	0.89	286.90	0	0	287.79	286.32	1.47
राजस्थान	438.01	405.66	0	23.28	866.95	649.56	217.39
सिक्किम	50.54	95.48	0	5.67	151.69	109.11	42.58
तमिलनाडु	303.75	221.89	36.54	15.50	577.68	572.63	5.05

त्रिपुरा	64.46	185.73	20.00	65.53	335.72	449.38	-113.66
उत्तर प्रदेश	167.06	839.27	0.00	10.60	1016.93	959.51	57.42
उत्तराखण्ड	8.38	313.13	37.41	6.60	365.52	458.94	-93.42
पश्चिम बंगाल	107.83	1193.80	9.40	1.57	1312.60	1192.56	120.04
कुल	**5484.89**	**10076.37**	**1326.61**	**618.11**	**17505.98**	**16782.71**	**723.27**

तेलंगाना की वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि शामिल

अनुबंध-5.4.1

मंत्रालय तथा राज्यों के व्यय के आंकड़ों में भिन्नता

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
आंध्र प्रदेश	672.15	696.09*	-23.94	607.48	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	33.86	32.98	0.88	1318.49	1341.55	-23.06
अरूणाचल प्रदेश	371.87	377.16	-5.29	214.27	231.98	-17.71	455.18	453.18	2.00	8.00	0.00	8.00	345.92	342.25	3.67	1395.24	1404.57	-9.33
असम	1900.67	1900.73	-0.06	1682.84	1682.84	0.00	154.27	154.33	-0.06	240.49	240.49	0.00	316.07	317.09	-1.02	4294.34	4295.48	-1.14
बिहार	3477.06	3253.41	223.65	3374.25	3475.41	-101.16	1326.57	1294.45	32.12	850.83	812.68	38.15	1548.16	1530.71	17.45	10576.87	10366.66	210.21
छत्तीसगढ़	678.58	678.58	0.00	801.51	801.52	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.75	270.75	0.00	1750.84	1750.85	-0.01
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	322.43	322.43	0.00	66.59	66.59	0.00	125.74	125.74	0.00	519.24	519.24	00.00	418.77	391.25	27.52	1452.77	1425.25	27.52
हरियाणा	157.75	157.75	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	1.40	-1.40	0.00	0.00	0.00	218.96	245.75	-26.79	436.71	464.90	-28.19
हिमाचल प्रदेश	199.30	199.30	0.00	310.30	305.30	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	84.40	15.00	609.00	589.00	20.00
जम्मू एवं कश्मीर	366.09	366.09	0.00	762.10	762.10	0.00	266.33	266.33	0.00	523.24	523.24	0.00	416.60	416.60	0.00	2334.36	2334.36	0.00
झारखण्ड	843.81	838.81	5.00	860.74	843.08	17.66	105.96	100.96	5.00	21.86	17.66	4.20	249.48	112.00	137.48	2081.85	1912.51	169.34
कर्नाटक	927.68	917.67	10.01	0.00	0.00	0.00	24.60	14.60	10.00	5.00	0.00	5.00	237.00	235.22	1.78	1194.28	1167.49	26.79
केरल	146.27	144.27	2.00	200.00	200.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	151.41	150.00	1.41	500.68	494.27	6.41
मध्य प्रदेश	1966.12	1966.11	0.01	1138.05	1138.05	0.00	242.88	237.88	5.00	615.00	600.00	15.00	708.00	708.00	0.00	4670.05	4650.04	20.01
महाराष्ट्र	1242.55	1242.55	0.00	796.01	791.01	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.53	207.66	4.87	2251.09	2241.22	9.87
मणिपुर	144.98	88.83	56.15	177.53	233.68	-56.15	186.14	186.14	0.00	4.03	4.03	0.00	100.00	100.92	-0.92	612.68	613.60	-0.92
मेघालय	64.55	64.55	0.00	38.00	38.00	0.00	50.00	50.10	-0.10	0.00	2.87	-2.87	62.56	64.80	-2.24	215.11	220.32	-5.21

राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
मिजोरम	95.59	95.59	0.00	93.63	93.62	0.01	71.82	71.82	0.00	0.00	0.06	-0.06	54.74	55.55	-0.81	315.78	316.64	-0.86
नागालैंड	25.13	25.13	0.00	11.00	10.00	1.00	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99	58.65	0.34	290.00	288.66	1.34
ओडिशा	2477.36	2245.10	232.26	1969.95	2187.22	-217.27	87.25	82.25	5.00	758.92	748.91	10.01	1051.50	1209.93	-158.43	6344.98	6473.41	-128.43
पंजाब	196.43	194.43	2.00	164.61	164.61	0.00	169.66	169.66	0.00	117.68	117.68	0.00	310.21	286.90	23.31	958.59	933.28	25.31
राजस्थान	886.22	886.22	0.00	667.76	667.76	0.00	151.90	146.90	5.00	427.06	416.69	10.37	425.66	405.66	20.00	2558.60	2523.23	35.37
सिक्किम	79.38	79.38	0.00	80.00	80.00	0.00	193.62	193.71	-0.09	1.97	2.07	-0.10	94.59	95.48	-0.89	449.56	450.64	-1.08
तमिलनाडु	469.54	322.12	147.42	160.00	307.41	-147.41	77.72	73.60	4.12	343.48	343.48	0.00	239.65	221.89	17.76	1290.39	1268.50	21.89
त्रिपुरा	285.76	257.91	27.85	229.79	206.39	23.40	338.59	323.16	15.43	98.83	73.83	25.00	187.36	185.73	1.63	1140.33	1047.02	93.31
उत्तर प्रदेश	1308.83	1308.83	0.00	213.77	213.77	0.00	10.00	10.00	0.00	511.93	513.58	-1.65	638.70	839.27	-200.57	2683.23	2885.45	-202.22
उत्तराखण्ड	240.26	237.96	2.30	300.32	295.32	5.00	151.24	149.24	2.00	0.00	0.00	0.00	314.92	313.13	1.79	1006.74	995.65	11.09
पश्चिम बंगाल	819.68	819.67	0.01	828.90	828.90	0.00	3.08	3.08	0.00	306.17	306.17	0.00	1193.80	1193.80	0.00	3151.63	3151.62	0.01
कुल	20366.04	19686.67	679.37	15809.40	16292.04	-482.64	4388.93	4303.41	85.52	5360.23	5247.68	112.55	9959.59	10076.37	-116.78	55884.19	55606.17	278.02

* **मार्च 2010 में मंत्रालय द्वारा ₹ 23.93** करोड़ जारी किया गया था तथा अप्रैल 2010 में बैंक में क्रेडिट किया गया था।

31 मार्च 2015 को मंत्रालय द्वारा ₹ 27.52 करोड़ जारी किए गए और राज्य द्वारा अप्रैल 2016 में प्राप्त किए गए।

अनुबंध-5.4.2

मंत्रालय तथा राज्यों के रिकार्ड के अनुसार निगमों विवरणों के बीच विभिन्नता

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
आंध्र प्रदेश	473.94	534.19	-60.25	291.75	281.51	10.24	205.66	199.57	6.09	152.56	220.29	-67.73	330.25	363.06	-32.81	1454.16	1598.62	-144.46
अरूणाचल प्रदेश	348.85	332.74	16.11	173.37	198.34	-24.97	310.54	270.36	40.18	249.36	278.75	-29.39	362.58	359.50	3.08	1444.70	1439.69	5.01
असम	1300.79	1386.02	-85.23	1312.18	1160.64	151.54	522.78	656.54	-133.76	699.01	749.84	-50.83	538.22	561.92	-23.7	4372.98	4514.96	-141.98
बिहार	2694.91	2656.88	38.03	2847.08	2885.43	-38.35	1992.21	2063.41	-71.20	1844.95	2067.37	-222.42	2259.30	2394.41	-135.11	11638.45	12067.50	-429.05
छत्तीसगढ़	304.16	309.05	-4.89	244.35	230.22	14.13	281.41	277.03	4.38	713.58	655.93	57.65	925.18	911.80	13.38	2468.68	2384.03	84.65
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	243.84	274.90	-31.06	150.55	94.46	56.09	99.54	155.95	-56.41	477.40	511.36	-33.96	685.91	625.01	60.90	1657.24	1661.68	-4.44
हरियाणा	108.03	111.47	-3.44	60.80	62.99	-2.19	36.53	30.65	5.88	8.19	12.16	-3.97	383.83	408.78	-24.95	597.38	626.05	-28.67
हिमाचल प्रदेश	142.67	149.55	-6.88	119.17	117.16	2.01	55.19	126.33	-71.14	148.13	140.10	8.03	215.04	197.88	17.16	680.20	731.02	-50.82
जम्मू एवं कश्मीर	297.40	296.25	1.15	508.43	512.62	-4.19	459.69	463.78	-4.09	534.01	537.26	-3.25	422.73	424.61	-1.88	2222.26	2234.52	-12.26
झारखण्ड	538.44	564.27	-25.83	323.23	355.89	-32.66	325.61	375	-49.39	539.55	498.84	40.71	785.02	707.51	77.51	2511.85	2501.51	10.34
कर्नाटक	634.8	670.29	-35.49	256.62	437.99	-181.37	16.63	132.27	-115.64	7.68	48.38	-40.70	411.23	433.20	-21.97	1326.96	1722.13	-395.17
केरल	146.14	166.57	-20.43	58.07	41.42	16.65	57.30	59.35	-2.05	121.15	122.74	-1.59	190.59	182.89	7.70	573.25	572.97	0.28
मध्य प्रदेश	1409.49	1421.75	-12.26	894.17	880.99	13.18	741.11	735.46	5.65	1393.07	1402.89	-9.82	1667.32	1887.52	-220.20	6105.16	6328.61	-223.45

राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर	केन्द्र	राज्य	अंतर
महाराष्ट्र	1012.48	1072.25	-59.77	546.05	583.87	-37.82	153.40	231.35	-77.95	383.50	437.34	-53.84	540.37	578.30	-37.93	2635.80	2903.11	-267.31
मणिपुर	122.34	135.84	-13.5	166.52	164.87	1.65	92.66	90.58	2.08	139.67	138.43	1.24	173.94	172.56	1.38	695.13	702.28	-7.15
मेघालय	36.39	41.80	-5.41	27.68	23.95	3.73	32.46	32.41	0.05	37.70	47.70	-10.00	83.24	96.02	-12.78	217.47	241.88	-24.41
मिजोरम	82.24	88.61	-6.37	85.47	78.73	6.74	41.95	36.87	5.08	26.60	38.45	-11.85	72.35	74.40	-2.05	308.61	317.06	-8.45
नागालैंड	29.67	34.85	-5.18	12.26	15.09	-2.83	109.83	104.21	5.62	77.45	75.10	2.35	50.47	48.10	2.37	279.68	277.35	2.33
ओडिशा	1924.25	1930.18	-5.93	1235.78	1235.02	0.76	1188.92	1249.82	-60.90	1605.72	1654.96	-49.24	1666.1	1677.23	-11.13	7620.77	7747.21	-126.44
पंजाब	155.34	155.25	0.09	61.49	62.33	-0.84	238.16	228.19	9.97	295.61	286.91	8.70	285.03	286.32	-1.29	1035.63	1019	16.63
राजस्थान	686.39	686.37	0.02	247.63	247.44	0.19	573.85	574.05	-0.20	718.35	718.36	-0.01	649.97	649.56	0.41	2876.19	2875.78	0.41
सिक्किम	85.53	68.45	17.08	13.93	64.09	-50.16	86.73	70.24	16.49	90.57	113.88	-23.31	94.50	109.11	-14.61	371.26	425.77	-54.51
तमिलनाडु	304.81	365.74	-60.93	211.36	159.62	51.74	21.13	23.24	-2.11	383.39	343.76	39.63	580.72	572.63	8.09	1501.41	1464.99	36.42
त्रिपुरा	237.51	279.70	-42.19	230.22	198.52	31.7	189.79	205.86	-16.07	232.76	269.51	-36.75	322.83	449.38	-126.55	1213.11	1402.97	-189.86
उत्तर प्रदेश	868.54	958.43	-89.89	194.84	249.94	-55.10	98.00	173.88	-75.88	824.25	951.71	-127.46	1002.26	959.51	42.75	2987.89	3293.47	-305.58
उत्तराखण्ड	191.74	200.73	-8.99	255.48	201.57	53.91	32.39	108.44	-76.05	260.64	297.74	-37.1	425.17	458.94	-33.77	1165.42	1267.42	-102.00
पश्चिम बंगाल	530.29	537.69	-7.40	417.93	433.49	-15.56	423.28	431.90	-8.62	1130.44	1077.93	52.51	1414.20	1192.56	221.64	3916.14	3673.57	242.57
कुल	**14910.98**	**15429.82**	**-518.84**	**10946.41**	**10978.19**	**-31.78**	**8386.75**	**9106.74**	**-719.99**	**13095.29**	**13697.69**	**-602.40**	**16538.35**	**16782.71**	**-244.36**	**63877.78**	**65995.15**	**-2117.37**

अनुबंध-5.5

राज्यों को निधियों के निर्गम में कमियां

(पैराग्राफ 5.5 के संदर्भ में)

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	आईएपी- XI (बैच I एवं II)के अंतग्रत निर्माण कार्यों के लिए ₹583.68 करोड़ के प्रति 2012-13 में एसआरआरडीए ने ₹189.37 करोड़ (प्रथम किस्त का 65 प्रतिशत) प्राप्त किया। पीएमजीएसवाई-11 के अंतर्गत ₹566.95 करोड. के पुल निर्माण कार्य एवं रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत 2013-14 के दौरान संस्वीकृ ₹138.19 करोड. के निर्माण कार्यों के लिए, अगस्त 2015 तक एसआरआरडीए को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। 2006-07 (चरण VI का ₹134.82 करोड़), 2007-08 (चरण VII का ₹579.58 करोड़) और 2008-09 (चरण VIII का ₹32.25 करोड़) के दौरान संस्वीकृत परियोजना के लिए निधियां 2010-15 के दौरान जारी किया गया था।
2.	**अरूणाचल प्रदेश**	अक्टूबर 2010 में संस्वीकृत ₹462 करोड़ की कीमत के 44 सड़क निर्माण कार्यों के लिए, अपनी संस्वीकृति से दो वर्षों से अधिक के पश्चात् जनवरी और मार्च 2013 में ₹232 करोड़ का प्रथम निर्गम किया गया था। फरवरी 2013 में संस्वीकृत ₹611 करोड़ की कीमत के 78 सड़क कार्यों के लिए, अपनी संस्वीकृति से डेढ़ वर्ष के पश्चात् सितम्बर 2014 में ₹63 करोड़ जारी किए गए थे। जून 2013 से फरवरी 2014 के दौरान ₹880 करोड़ की कमत 63 परियोजनाओं के प्रति मार्च 2015 तक कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
3.	**बिहार**	2010-15 के दौरान संस्वीकृत 7,535 निर्माण कार्यों में से, ₹9,061.50 करोड़ की कीमत के 6,116 निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंपे गए थे। इसके प्रति, मार्च 2015 तक केवल ₹3,225.51 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। यह इस तथ्य के कारण था कि राज्य ने पूर्व वर्षों के सौंपे गए कार्यों को 100 प्रतिशत पूरा करने की शर्त को पूरा नहीं किया था। राज्य सरकार ने दूसरी किस्त को जारी करने हेतु शर्त से राहत का अनुरोध किया था जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।
4.	**गुजरात**	₹981.29 करोड़ की चरण XIII परियोजनाएं 2013-14 में अनुमति दी गई थीं (अगस्त 2013 में ₹970.40 करोड़ और जनवरी 2014 में ₹10.89 करोड़) ₹490.65 करोड़ की प्रथम किस्त को अक्टूबर 2013 (₹360 करोड़) तथा अगस्त 2014 ₹130.65 करोड़) में दो भागों में जारी किया गया था। ₹490.65 करोड़ की द्वितीय किस्त के प्रति, ₹63.91 करोड़ अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था, ₹54.01 करोड़ जनवरी 2015 में तथा

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्तियां
		₹27.53 करोड़ मार्च 2015 में जारी किया गया था। यह आवश्यक दस्तावेजों जैसे सड़क निर्माण कार्यों हेतु कार्य योजना तथा राज्य द्वारा अनुरक्षण निधि के निर्गम की स्थिति के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण हुआ था।
5.	**हरियाणा**	पीएमजीएसवाई-॥ के अंतर्गत, 83 सड़क निर्माण कार्य और 18 पुल निर्माण कार्यों को ₹651.51 के केन्द्रीय अंश के साथ मई 2014 में संस्वीकृत किया गया था। इसके प्रति, फरवरी 2016 तक ₹475.93 करोड़ जारी किए गए थे।
6.	**जम्मू एवं कश्मीर**	चरण VI से VIII के संबंध में ₹959.13 करोड़ की दूसरी किस्त और सड़क परियोजनाओं के समापन में खराब प्रगति और दूसरी किस्त के निर्गम हेतु दी गई शर्तों को पूरा न करने के कारण चरण IX की प्रथम किस्त जारी नहीं की गई थी।
7.	**कनार्टक**	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल ₹628.77 करोड़ की निधियों का कम निर्गम हुआ था।
8.	**केरल**	चरण VII के अंतर्गत, ₹486.74 करोड़ के मूल्य की 420 परियोजनाओं को फरवरी 2009 (₹230.47 करोड़ के मूल्य की 200 सड़के) और सितम्बर 2010 (₹256.26 करोड़ के मूल्य के 220 निर्माण कार्य) में स्वीकृत किया गया था। इसमें से, मई 2013 में ₹127.65 करोड़ तक की कीमत की 128 परियोजनाएं बंद कर दी गई थी। इन संस्वीकृत परियोजनाओं के प्रति, एक वर्ष से अधिक के विलंब के साथ दिसम्बर 2011 ₹200 करोड़ की प्रथम किस्त जारी की गई थी और अप्रैल 2014 में शेष ₹150 करोड़ जारी कर दिया गया था। चरण VIII के अंतर्गत, ₹689.90 करोड़ के केन्द्रीय अंश के साथ ₹603.61 करोड़ के मूल्य की 415 परियोजनाएं अप्रैल 2013 (₹457.04 करोड़ के मूल्य की 320 परियोजनाएं) और फरवरी 2014 (₹236.57 करोड़ के मूल्य की 95 परियोजनाएं) में प्रदान की गई थीं। हालांकि, प्रथम किस्त के अंश भुगतान अप्रैल 2015 (₹22 करोड़) और अगस्त 2015 (₹15.39 करोड़) में किया गया था।
9.	**मध्य प्रदेश**	कार्यक्रम के अंतर्गत संस्वीकृत ₹18,812.75 करोड़ के केन्द्रीय अंश के ₹19,146.92 करोड़ की कीमत की समग्र परियोजनाओं के प्रति ₹13,204.13 करोड़ मार्च 2015 तक जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने बताया कि मंत्रालय को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधि के आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।
10.	**महाराष्ट्र**	अगस्त 2012 में स्वीकृत ₹418.86 करोड़ की कीमत की परियोजनाओं के प्रति ₹196.64 करोड़ मार्च 2015 तक जारी किए गए थे। निधियों को ₹352.14 करोड़ के केन्द्रीय अंश के साथ अक्टूबर 2013 में स्वीकृत परियोजनाओं (चरण XII) के संबंध में जारी नहीं किया गया था। पीएमजीएसवाई-II में, 2013-14 में स्वीकृत ₹1,265.53 करोड़ की परियोजनाओं के प्रति मार्च 2015 तक निधि जारी नहीं की गई थी।

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्तियां
11.	**सिक्किम**	2005-06, 2007-08 और 2008-09 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 2010-11, 2011-12 और 2014-15 के दौरान केवल क्रमश: 33,50 तथा 25 प्रतिशत निधियां जारी की गई थीं। 2011-12 के दौरान संस्वीकृत ₹206.04 करोड़ की लागत की परियोजनाओं के लिए शेष 50 प्रतिशत निधि को मार्च 2015 तक जारी नहीं कया गया था। 2013-14 और 2014-15 के दौरान के संस्वीकृत क्रमश: ₹192.11 करोड़ तथा ₹136.99 करोड़ की कीमत की परियोजनाओं हेतु निधि मार्च 2015 तक जारी नहीं की गई थी।
12.	**तमिलनाडु**	₹1,020.75 करोड़ के केन्द्रीय अंश वाली ₹1129.75 करोड़ की कीमत की 1,342 परियोजनाआं (चरण VIII) को दिसंबर 2012 में स्वीकृत किया गया था। इनमें से, 1,172 पूर्ण थीं और 170 निर्माण कार्य समापन के उच्च चरण में हैं (अप्रैल 2015)। इसके प्रति, अप्रैल 2015 तक ₹580.37 करोड़ (57 प्रतिशत) जारी किया गया था। अगस्त 2013 में स्वीकृत ₹359.88 करोड़ की लागत वाली 413 परियोजनाओं (चरण IX) हेतु 2013-14 और 2014-15 में निधियां जारी नहीं की गई थीं। 2015-16 में, चरण VIII और IX के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए ₹119.25 करोड़ आवंटित किया गया था। विलंबित/गैर निर्गम के कारण, ₹100.00 करोड़ के लिए पारित बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा सका था तथा ठेकेदारों को भुगतान हेतु ₹300.00 करोड़ की आवश्यकता थी (मई 2015)। इसके अतिरिक्त, एसआरआरडीए ने ठेकेदारों को भुगतान निष्पादन सुरक्षा के ₹93.00 करोड़ की राशि का विपभन किया था।
13.	**उत्तर प्रदेश**	सितम्बर 2010 में जारी परियोजनाओं (चरण VIII) के लिए ₹179.95 करोड़ के केन्द्रीय अंश में से केवल ₹51.73 करोड़ को भाग किस्त के रूप में चार वर्षों के विलम्ब के पश्चत् मार्च 2015 में जारी किया गया था। अक्टूबर 2011 में स्वीकृत विश्व बैंक भाग-I के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु ₹370.14 करोड़ के केन्द्रीय अंश में से ₹184.07 करोड़ की प्रथम किस्त मार्च 2012 में जारी किया गया था। नवम्बर 2012 में स्वीकृत ₹579.93 करोड़ की कीमत की परियोजनाओं (चरण X) हेतु निधि को राज्य द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण मार्च 2015 तक जारी नहीं किया गया था। पीएमजीएसवाई- II के अंतर्गत, जनवरी 2014 में जारी ₹1134.54 करोड़ के केन्द्रीय अंश वाली परियोजनाओं में, स्पष्टीकरण पत्र में लगाई गई शर्तों को प्रस्तुत न करने के कारण मार्च 2015 तक निधियां जारी नहीं की गई थीं।

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्तियां
14.	**उत्तराखण्ड**	2000 से लेकर 2015 तक 12 चरणों मे, ₹2806.28 करोड़ (केन्द्रीय अंश) में से, 2014-15 तक राज्य को ₹1,650.06 करोड़ जारी कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान,राज्य की धीमी समावेशन क्षमता के कारण राज्य का कम निर्गम था। हालांकि 2013-14 में, राज्य के अपने खाते में केवल ₹8.38 करोड़ थे और 2014-15 में राज्य ने ₹93.42 करोड़ का ऋणात्मक शेष दर्शाया था।
15.	**पश्चिम बंगाल**	2009-10 में ₹71.41 करोड़ की कीमत की परियोजनाआं (चरण VIII) की स्वीकृति के प्रति ₹251.29 करोड़ जारी किए गए थे। इन परियोजनाओं के प्रति निधियां इसके पश्चात् जारी नहीं की गई थीं (मार्च 2015)। 2011-12 में स्वीकृत ₹635.41 करोड़ की कीमत की परियोजनाओं (चरण-IX) के प्रति ₹306.17 करोड़ की प्रथम किस्त 2014-15 में जारी की गई थी। 2011-12 और 2012-13 में स्वीकृत क्रमश: ₹3,483.19 करोड़ (चरण-X) तथा ₹523.61 करोड़ (चरण- XI) की कीमत की परियोजनाओं के संबंध में ₹752.84 (चरण-X) तथा ₹246.73 करोड़ (चरण XI) 2014-15 में जारी किए गए थे।

अनुबंध-5.6

राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अंतरण में विलंब

(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)

क्रं.सं.	राज्य	केन्द्रीय अंश (₹ करोड़ में)	स्वीकार्य तीन दिनों से अधिक का विलंब	12 प्रतिशत दर पर ब्याज देयता (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	154.69	30-106	3.54	सितम्बर 2015 तक, 2014-15 के दौरान जारी ₹50.43 करोड़ की कार्यक्रम निधि को अभी भी एसआरआरडीए को अंतरित किया जाना था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	342.25	30-150	8.84	2 दिसम्बर 2014 को प्रशासिनक निधि के रूप में जारी ₹3.76 करोड़ को मई 2015 तक एसआरआरडीए को अभी तक अंतरित किया जाना था।
3.	असम	313.83	62-98	7.58	--
4.	जम्मू एवं कश्मीर	416.60	14-174	7.06	--
5.	कर्नाटक	235.22	55-133	5.55	4 मार्च 2015 में जारी ₹235.22 करोड़ में से ₹35.22 करोड़ को अभी भी एसआरआरडीए को अंतरित करना था (मई 2015)
6.	मणिपुर	100.00	61	2.00	--
7.	मेघालय	62.56	27-147	1.05	--
8.	मिजोरम	54.74	100-183	2.67	--
9.	पंजाब	310.21	28-202	7.62	--
10.	राजस्थान	405.66	7 to 17	1.22	--
11.	उत्तराखण्ड	298.13	11-38	3.24	---
कुल		**2693.89**		**50.37**	

अनुबंध-6.1

प्रथम टीयर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में कमियां

(पैराग्राफ 6.1.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	असम	आठ नमूना जांच किए गए जिलों में से दो में जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी।
2.	हिमाचल प्रदेश	राज्य नोडल विभाग ने 2010-15 के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पीएमजीएसवाई निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किए थे।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	चार नमूना जांच किए गए जिलों में, उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद तकनीकी व्यक्तियों की गैर-तैनाती के कारण जांच नहीं की गई थीं। एसक्यूसी ने बताया कि जिला प्रयोगशालाओं में जांच करने हेतु अपेक्षित तकनीशनों/तकनी की स्टाफ की कमी के कारण पूर्ण रूप से क्रियात्मक नहीं थी।
4.	झारखण्ड	पीआईयू ने कार्य स्थालों पर अनिवार्य फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना को सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने किसी भी 18 कार्यों स्थालों में फील्ड प्रयोगशालाएं नहीं पाई थीं। पीआईयू ने उत्तर दिया कि ठेकेदारों द्वारा स्थलों पर मोबाईल प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जा रहा है। मशीनरी/उपकरण तथा तकनीकी व्यक्तियों से संबंधित अभिलेखों के अभाव में पीआईयू का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
5.	कर्नाटक	फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण को उपयुक्त रूप से रखा नहीं गया था। इसके अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या प्रभागों में निष्पादित निर्माण कार्यों के संबंध में ठेकेदारो द्वारा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं।
6.	मिजोरम	चार पीआईयू (ईई-टम्यूजंग, एनएच-11, एजवाल रोड़ नार्थ चम्पाई पीडब्ल्यू प्रभाग) ने यह दर्शाने के लिए, कि उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन ठेकेदारों ने उनके द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी, कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		किया था।
7.	राजस्थान	जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता तथा अपेक्षित उपकरण की जांच करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया था।
8.	तमिलनाडु	कुछ सड़क निर्माण कार्यों में फील्ड प्रयोगशालाओं (प्रथम टीयर मॉनीटरिंग) की स्थापना नहीं की गई थी।
9.	तेलंगाना	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को जिला मेहबूबनगर के कार्य स्थल 'एपी 11 1201-टी 01- देवराकद्र मण्डल में पेडदराजमूर से बसवापोर सड़क तथा कलवार्ला से ' रंगावरम तक सड़क पर बीटी प्रदान करना' पर स्थापित नहीं किया गया था।
10.	त्रिपुरा	दो जिलों मे, अभिकरणों द्वारा अलग फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई थी। नमूनों की जांच मोबाईल प्रयोगशाला का उपयोग करके की गई थी तथा विस्तृत विश्लेषण हेतु उन्हे निजी पंजीकृत प्रयोगशालाओं को भेजा गया था।
11.	उत्तराखण्ड	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा किए गए निरीक्षणों को दर्शाने वाला केन्द्रीयकृत अभिलेख अथवा आवधिक रिटर्न उपलब्ध नहीं थी। नमूना निर्माण कार्यों की पत्राचार फाईलों ने दर्शाया कि ठेकेदारों द्वारा फील्ड प्रयोगशालाओं को तीन निर्माण कार्यों में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से एक से तीन वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी तथा छः सड़क निर्माण कार्यों में दो से आठ महीनों के बीत जाने के पश्चात भी स्थापित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों[1] में फील्ड प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुज्जित नहीं थी। इसके अतिरिक्त,

[1] पीआईयू-साल्ट (अलमोड़ा)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		यूआरआरडीए द्वारा इस संबंध में प्रदत्त सूचना ने दर्शाया कि चार पीआईयू[2] के सात निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी।
12.	पश्चिम बंगाल	तीन जिलों में, उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे या फिर गैर-क्रियात्मक थे। विभाग ने उत्तर (अक्टूबर 2015) दिया कि आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण का वर्ष 2015 के भीतर प्रापण किया जाएगा। नार्थ 24 परगना में प्रयोगशाला श्रमशक्ति की आवश्यकता के कारण 2010 से गैर-क्रियात्मक थी।

[2] पीआईयू-कपकोट(बागेश्वर)= 02 निर्माण कार्य, पीआईयू- चस्थूल (पिथोड़ागढ़) 03 निर्माण कार्य पीआईयू-पूरोला (उत्तरकाशी)= 01 निर्माण कार्य तथा पीआईयू- श्रीनगर (पोढ़ी)= 01 निर्माण कार्य

अनुबंध-6.2

गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टरों का गैर/अनुपयुक्त अनुरक्षण

(पैराग्राफ 6.1.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	छत्तीसगढ़	कंक्रीट कार्य की जांच हेतु क्यूसीआर में कोई भाग अथवा प्रारूप नहीं था जबकि कंक्रीट सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सील परत में बिटूमन मात्रा के संबंध में गुणवत्ता जांच हेतु क्यूसीआर में कोई प्रारूप नहीं था।
2.	हिमाचल प्रदेश	दो प्रभागों (कल्पा तथा कांगड़ा) में सहायक अभियंता द्वारा भाग-II रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसने दर्शाया कि निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रणों का 2010-15 के दौरान अनुपालन नहीं किया गया था। सभी नमूना जांच किए जिलों में सहायक अभियंताओं द्वारा अधिशासी अभियंताओं को निर्धारित मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई थीं।
3.	झारखण्ड	सभी नमूना जांच किए गए पीआईयू (सीपीएसयू को छोड़कर) ने सूचित किया कि अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता ने यद्यपि स्थलों के दौरे किए थे फिर भी निरीक्षणों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। उनके द्वारा निरीक्षण टिप्पणियां भी जारी नहीं की गई थीं।
4.	मणिपुर	चार नमूना जिलों में छः पीआईयू में से तीन पीआईयू ने 2010-15 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों के आठ पैकेजों के संबंध में आठ क्यूसीआर प्रस्तुत किए। जीएसबी (ठोस पर की सघनता) तथा बिटूमन कार्य (बिंडर मात्रा, परत की सघनता) के संबंध में सभी आवश्यक जांच दो पैकेजो नामतः पैकेज सं. एमएनओ 815, पैकेज सं. एमएनओ 855 (पीआईयू-थाऊबल) में नहीं की गई थीं।
5.	मिजोरम	तीन जिलों (आईजॉल, चम्पाई तथा लूंगली) में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार रिपोर्टों तथा रिटर्नों के साथ तीन टीयर गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में अनुरक्षित अभिलेखों के विवरणो का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया था या फिर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
6.	तेलंगाना	ठेकेदार ने 'आर/एफ' वेलदान्द पीडब्ल्यूडी सड़क से अंकमणीकुट पर बोलामपल्ली वागू पर निर्मित पुल के कार्य स्थल पर क्यूसीआर नहीं बनाया था। क्यूएमएन रिपोर्ट (अप्रैल 2013) के अनुसार कार्य 'कलवाड़ से रंगावरम तक सड़क पर बीटी प्रदान करना' हेतु क्यूसीआर नहीं बनाया था.
7.	त्रिपूरा	दो चयनित जिलों में जल निकासी परत की जांच नहीं की गई थी। 11 सड़क निर्माण कार्यों में जांचो के सार का आंशिक रूप से अनुरक्षण किया गया था। जीएसबी परत के सवंहनन के जांच तीन अवसरो पर नहीं की गई थी।
8.	उत्तर प्रदेश	26 नमूना निर्माण कार्यों में निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रमात्रा के आधार पर 'कार्य के प्रारम्भ तथा समापन तिथि' 'प्रयोगशाला स्टाफ का विवरण जिन्होने जांच की थी' 'अपेक्षित तथा इसके प्रति की गई जांचो की बारंबारता के विवरण' के संबंध में अपेक्षित सूचना क्यूसीआर में भरी नहीं गई थीं।
9.	पश्चिम बंगाल	हुगली में, परीक्षण के संबंध में प्रलेखन पर्याप्त नहीं था। 2010-15 के दौरान जांच किए गए 58 नमूनों में जांच करने वाले अधिकारी का नाम तथा जांच की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला रजिस्टर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।

अनुबंध-6.3

एसक्यूएम द्वारा निरीक्षणों में कमी

(पैराग्राफ 6.2.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	एसक्यूएम को सौंपे गए 703 कार्यक्रमों में से 262 का निरीक्षण किया गया था।
2.	असम	दो पीआईयू (लखीमपुर, एसआर प्रभाग, घीलामाड़ा तथा गोलघाट आरआर प्रभाग) में दो सड़क निर्माण कार्यों एसक्यूएम द्वारा मार्च 2015 तक एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया था। दो पीआईयू (जीआरआरडी, गोलाघाट तथा एलएसआरडी, घिलमाड़ा) के अंतर्गत फरवरी 2009 से फरवरी 2015 तक समाप्त 63 सड़क निर्माण कार्यों का एसक्यूएम द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था।
3.	बिहार	एसक्यूएम द्वारा निरीक्षण किए गए समाप्त 5,559 निर्माण कार्यों में से प्रत्येक कार्य का एसक्यूएम द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित तीन निरीक्षणों के प्रति 2968 निर्माण कार्यों का एक बार निरीक्षण किया गया था तथा 1562 निर्माण कार्यों का दो बार निरीक्षण किया गया था।
4.	छत्तीसगढ़	89 सड़क निर्माण कार्यों में 267 निरीक्षणों के प्रति एसक्यूएम द्वारा 140 निरीक्षण किए गए थे।
5.	गुजरात	पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत नमूना जांच किए गए 327 सड़क निर्माण कार्यों में से, निर्धारित तीन निरीक्षणों के प्रति 97 निर्माण कार्यों का कोई निरीक्षण नहीं किया गया था, 134 निर्माण कार्यों का केवल एक निरीक्षण किया गया था तथा 51 निर्माण कार्यों के दो बार निरीक्षण किया गया था।
6.	हरियाणा	32 चयनित निर्माण कार्यों में से एसक्यूएम ने 18 निर्माण कार्यों में निरीक्षण किए थे। 14 निर्माण कार्यों में एसक्यूएम ने अपेक्षित 42 निरीक्षणों के प्रति 21 निरीक्षण किए थे। अपेक्षित तीन निरीक्षणों के प्रति एक सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं किया गया था, पांच सड़क निर्माण कार्यों का एक बार निरीक्षण किया गया था तथा आठ निर्माण कार्यों का दो बार निरीक्षण किया गया था।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
7.	हिमाचल प्रदेश	एसक्यूएम ने 1,077 सड़क निर्माण कार्यों के 1,277 निरीक्षण किए। 441 निर्माण कार्यों (41 प्रतिशत) को असंतोषजनक बताया गया था। सभी एटीआर लंबित थी (जुलाई 2015)।
8.	जम्मू एवं कश्मीर	नमूना जांच किए गए जिलों में, अपेक्षित 192 निरीक्षणों के प्रति एसक्यूएम ने 64 निर्माण कार्यों के 100 निरीक्षण किए थे।
9.	झारखण्ड	एसक्यूएम ने 186 समाप्त सड़क निर्माण कार्यों के अपेक्षित 558 निरीक्षणों के प्रति 328 निरीक्षण किए थे।
10.	केरल	एसक्यूएम ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 29 सड़क निर्माण कार्यों के अपेक्षित 87 निरीक्षणों के प्रति 33 निरीक्षण किए थे। अपेक्षित तीन निरीक्षण केवल एक निर्माण कार्य (केआर 02-10) में किए गए थे तथा पांच निर्माण कार्यों में निरीक्षण नहीं किया गया था। केएसआरआरडीए ने निरीक्षण में कमी को कम एसक्यूएम की नियुक्ति को आरोपित किया।
11.	मध्य प्रदेश	सात जिलों[3] के पीआईयू से संबंधित 350 पूर्ण सड़कों में, तीन निर्माण कार्यों के कभी निरीक्षण नही किए गए थे, 56 निर्माण कार्यों का एक बार निरीक्षण किया गया था, 120 निर्माण कार्यों का दो बार निरीक्षण किया गया था (कुल-179 निर्माण कार्य)। राज्य सरकार ने बताया कि नवम्बर 2010 से पहले एसक्यूएम के निरीक्षणों का ओम्मास पर ऑनलाईन प्रविष्टि की प्रणाली मौजूद नहीं थी; इसलिए नवम्बर 2010 से पहले की प्रविष्टियां ओम्मास पर प्रदर्शित नहीं हो रही थीं। इसलिए पीआईयू द्वारा प्रदत्त वास्तविक निरीक्षण डाटा तथा ओम्मास पर उपलब्ध डाटा के बीच थोड़ा अंतर था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विश्लेषण किए डाटा ओम्मास के नहीं थे बल्कि हाथ से तैयार डाटा थे।
12.	मणिपुर	एसक्यूएम ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 222 सड़क निर्माण कार्यों के अपेक्षित 666 निरीक्षणों के प्रति 109 निरीक्षण किए थे।
13.	मेघालय	चयनित 69 निर्माण कार्यों में से; पांच समाप्त थे; 43 प्रगति में थे तथा 21 को अभी भी प्रारम्भ किया जाना था (मार्च 2015)। इसके अतिरिक्त,

[3] अशोकनगर, बालघाट, दत्तिया, झकूआ, खारगोन, स्तलाम तथा सागर

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		किसी भी पांच समाप्त निर्माण कार्यों का एक माह के भीतर निरीक्षण नहीं किया गया था। 43 चालू निर्माण कार्यों में से 32 का भौतिक प्रगति 2 से 77.10 प्रतिशत के बीच होने के बावजूद एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया था
14.	मिजोरम	एमआईआरआरडीए ने बताया (अक्टूबर 2015) कि एसक्यूएम द्वारा निरीक्षण केवल आवश्यकताओं के अनुसार किए गए थे तथा निरीक्षण हेतु कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। इस प्रकार, निर्धारित कार्यक्रम के अभाव में, प्राप्ति में कमी, यदि कोई है, का पता नहीं लगाया जा सकता था।
15.	ओडिशा	पांच जिलों[4] में, एसक्यूएम का निरीक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि 2010-15 के दौरान समाप्त 308 निर्माण कार्यों मे से 116 (37.66 प्रतिशत) का तीन बार निरीक्षण किया गया था। शेष निर्माण कार्यों में से 139 निर्माण कार्यों का दो बार निरीक्षण किया गया था। जबकि 49 निर्माण कार्यों का केवल एक बार निरीक्षण किया गया था तथा चार निर्माण कार्यों का कभी निरीक्षण नहीं किया गया था।
16.	पंजाब	12 प्रभागों (पीडब्ल्यूडी के नौ तथा पीएमबी के तीन) द्वारा निष्पादित 44 निर्माण कार्यों में 132 निरीक्षणों की आवश्यकता के प्रति एसक्यूएम द्वारा 59 निरीक्षण किए गए थे।
17.	राजस्थान	अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के दौरान समाप्त 2422 निर्माण कार्यों के लिए तीन चरणों पर एसक्यूएम द्वारा 7,266 निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। प्रथम चरण पर केवल 1,001 (41.33 प्रतिशत), दूसरे चरण पर 403 (16.64 प्रतिशत) तथा तीसरे चरण पर 142 (5.86 प्रतिशत) निरीक्षण किए गए थे।
18.	सिक्किम	चार समाप्त निर्माण कार्यों का एसक्यूएम द्वारा एक बार या दो बार निरीक्षण किया गया था। विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि एसक्यूएम का पहले का निरीक्षण कार्यक्रम विरल था तथा बाद में निरीक्षण की बारंबारता को बढ़ाने हेतु वास्तविक प्रयास किए गए हैं।

[4] बोलनगिर, बालासोर, धनेकनाल, मयूरभंज, रायगढ़

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
19.	तमिलनाडु	चयनित जिलों में एसक्यूएम ने समापन अवधि की समाप्ति तक सात सड़क निर्माण कार्यों का एक बार निरीक्षण किया था।
20.	तेलंगाना	एसक्यूएम ने अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के दौरान 351 समाप्त निर्माण कार्यों में से 289 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। पांच[5] जिलों (2010-11), तीन[6] जिलों (2013-14) तथा तीन[7] जिलो (2014-15) में निरीक्षण नहीं किए गए थे। खम्माम जिले के जांच-परीक्षित निर्माण कार्यों में, यद्यपि माप पुस्तिकाओं में एसक्यूएम निरीक्षणों प्रविष्टि की गई थी, प्रत्येक कार्यात्मक/पर्यवेक्षण स्तर के लिए की गई निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
21.	त्रिपुरा	एसक्यूएम ने 2010-15 के दौरान 260 सड़क निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित 780 निरीक्षणों के प्रति 614 निरीक्षण किए थे।
22.	उत्तर प्रदेश	एसक्यूएम ने 2010-15 के दौरान समाप्त 65 सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण किए थे। चार सड़क निर्माण कार्यों का कभी निरीक्षण नहीं किया गया था, छः निर्माण कार्यों का एक बार, 22 निर्माण कार्यों का दो बार तथा 28 निर्माण कार्यों का तीन बार निरीक्षण किया गया था।
23.	उत्तराखण्ड	2013-14 तक समाप्त दर्शाए गए 27 निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों का एक बार तथा 15 का दो बार निरीक्षण किया गया था।
24.	पश्चिम बंगाल	चयनित जिलों में 468 पूर्ण सड़कों में से 22 सड़क निर्माण कार्यों का कभी निरीक्षण नहीं किया गया था तथा 159 का एक बार, 161 का दो बार निरीक्षण किया गया था।

[5] अदीलाबाद, करीमनगर, नालगोंडा, निजामाबाद तथा रंगा रेड्डी

[6] करीमनगर, मेदक तथा नालगोंडा

[7] मेदक, निजामाबाद तथा रंगारेड्डी

अनुबंध-6.4

कार्रवाई रिपोर्टों में कमियां

(पैराग्राफ 6.3.4 के संदर्भ में)

राज्य	एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	अंसोषजनक निर्धारित किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	कार्य का मूल्य (करोड़ में)	मामलों की संख्या जिनमें पीआईयू द्वारा सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी	सुधार रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात एसक्यूएम/एमक्यूएम द्वारा पुर्निरिक्षण किए निर्माण कार्यों की संख्या	पुनर्निरिक्षण के पश्चात असंतोषजनक निर्धारित किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	कार्य का मूल्य (करोड़ में)
आन्ध्र प्रदेश	215	37	59.52	34	34	12	9.95
अरूणाचल प्रदेश	44	9	19.99	7	5	3	8.65
बिहार	513	95	118.97	76	76	14	18.14
गुजरात	151	10	13.28	9	7	0	0
हरियाणा	21	1	1.9	1	1	1	1.9
हिमाचल प्रदेश	443	51	61.47	51	15	4	4.57
जम्मू एवं कश्मीर	171	21	20.53	21	21	1	4.78
झारखण्ड	191	37	उ.न.	31	0	0	0
कर्नाटक	113	18	41.74	18	18	0	0
केरल	76	14	23.56	14	6	0	0

मणिपूर	36	8	17.86	8	8	0	0
मेघालय	92	27	45.58	32	6	0	0
मिजोरम	43	18	173.36	18	10	6	45.79
ओडिशा	391	82	उ.न.	46	46	0	0
राजस्थान	143	28	43.93	24	0	0	0
सिक्किम	110	21	51.37	21	21	3	7.75
तेलंगाना	115	13	22.08	11	11	2	1.42
त्रिपूरा	201	69	306.86	52	51	13	57.46
उत्तर प्रदेश	315	114	56.47	113	27	0	0
उत्तराखण्ड	50	13	50.02	8	6	3	17.50
पश्चिम बंगाल	258	66	140.32	65	51	3	49.94
कुल	**3,692**	**752**	**1,268.81**	**660**	**420**	**65**	**227.85**

अनुबंध-6.5

जिला स्तरीय एवं मॉनीटरिंग समिति (डीएलवीएमसी)

(पैराग्राफ 6.5 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	एसआरआरडीए ने 2010-15 के दौरान डीएलवीएमसी तथा उनके निरीक्षणों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे।
2.	हरियाणा	डीएलवीएमसी ने किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में प्रगति को मॉनीटर तथा सतर्कता लागू नहीं की थी।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	डीएलवीएमसी की मॉनीटरिंग रिपोर्टें नमूना जांच किए गए जिलों में नहीं देखी गई थीं।
4.	झारखण्ड	डीएलवीएमसी की बैठके 2010-15 के दौरान की गई थीं परंतु बैठको का कार्यवृत उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
5.	कर्नाटक	डीएलवीएमसी को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने हेतु चयनित जिलों में गठन नहीं किया गया था। तथापि, वार्षिक रूप से हुई बैठक के विवरण पीआईयू के पास उपलब्ध नहीं थे।
6.	मणिपुर	इम्फाल पूर्व जिले में 20 बैठको के प्रति 2011-12 के दौरान दो बैठके हुई थीं। अन्य तीन नमूना जांच किए गए जिलों हेतु सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।
7.	मिजोरम	डीएलवीएमसी के अंतर्गत बैठके संबंधित जिला स्तरीय उपायुक्त द्वारा आयोजित की जा रही थीं। मिजोरम ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने बताया (अक्टूबर 2015) कि उनकी बैठक में उपस्थित होने के सिवाए इस पहलू में कोई भूमिका नहीं थी। दो चयनित जिलों के अंतर्गत पीआईयू ने किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया था।
8.	ओडिशा	डीएलवीएमसी की बैठके नियमित रूप से नहीं हुई थी। 120 बैठको के प्रति डीएलवीएमसी ने केवल 25 बैठके की। जिला कोरपूट में 2010-13 के दौरान डीएलवीएमसी की बैठक नहीं हुई थी। बालासोर में डीएलवीएमसी ने 2010-15 के दौरान 20 के प्रति आठ बैठके

क्र. सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
		की थीं तथा 3 से 17 महीनों के बीच की अवधि तक अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं के संबंध में चर्चा नहीं की थी। जिला बालांगिर, धनेकनाल तथा कालाहांडी में डीएलवीएमसी बैठकों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। रायगढ़ तथा जयपूर जिलों में डीवीएमसी ने 2010-15 के दौरान एक बीर बैठक की। विभाग ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला प्रशासन को दिशानिर्देशों के अनुसार बैठके करने हेतु अवगत किया जाएगा।
9.	सिक्किम	आरएम एण्ड डी डी में अनुरक्षित अभिलेखो के अनुसार, 80 बैठकों के प्रति अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक 14 बैठक हुई थीं।
10.	उत्तर प्रदेश	किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में डीएलवीएमसी ने अपेक्षित सतर्कता नहीं की थी। पीआईयू ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।
11.	उत्तराखण्ड	चयनित जिलो में पीएमजीएसवाई में डीएलवीएमसी की सक्रिय/प्रभावी भूमिका नहीं पाई गई थी।
12.	पश्चिम बंगाल	पांच जिलों में से डीएलवीएमसी को तीन जिलों (मालदा, पूर्बा, मिदनीपूर तथा उत्तर दीनाजपूर) में गठित नहीं किया गया था तथा नार्थ 24 परगना में जहाँ यह गठित की गई थी, उसने 20 के प्रति 2010-15 के दौरान केवल आठ बैठक की थीं। हुगली में, बैठकों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने बताया (अकटूबर 2015) कि संबंधित जिलाधीश को वी एण्ड एमसी का गठन करने की सलाह दी जाएगी।

अनुबंध-7.1

बस्तियों तक संयोजकता उपलब्ध करानें में अनियमितताएँ:

(पैरा 7.3 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर जिले में बन्डाकड पल्ली से राचीनेपल्ली तक सड़क को 129 की जनसंख्या वाले एक अयोग्य बस्ती तक बढ़ा दिया गया ।
2.	असम	पीआईयू में, करीमगंज और एचपीआईयू, काचर सड़क सर्किल, सिलचर, एएस 13-59 पैकेज के अधीन सीएनडब्ल्यू के अलावा ₹9.76 करोड़ खर्च करने मार्च 2015 तक आठ सड़कों का निर्माण किया गया।
		नागांव जिले में, नागाँव पीआईयू में राज्य सड़क खण्ड, नागाँव, पैकेज एएस19-158, 'कामपुर-जमुनामुख' सड़क का निर्माण एक प्रमुख सड़क होने के बावजूद कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए।
3.	बिहार	नवादा जिले में सड़स सं.-बीआर-25 आर 165/11-12 [एनएच-31 (हुरा) का निर्माण पिपरा खुर्द बस्ती को संयोजकता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के तहत किया जो पहले ही नामदरगंज से होने हुए एनएच 31 से जुड़ा था।
		गया जिले में, पैकेज सं. बीआर-12 आर-208/11-12 (गया शेरघाटी सड़क से डडुबरमा) के अन्तर्गत बस्ती इटाहारी तक बहु संयोजकता प्रदान की जा रही थी।
		मधुबनी जिले में, पैकेज सं. के अन्तर्गत बीआर-21आर-236 (लूरगामा से भगवतीपुर) बस्तियों से भगवतीपुर तक बहु-संयोजकता उपलब्ध करायी जा रही थी।
		सी एन डब्ल्यू से हटकर सड़क (टी 01 बाथेन से खगाँव सड़क) पैकेज सं.बी.आर 21 आर- 390 (2013-14) के अधीन खानगाँव बस्ती को बहु-संयोजकता उपलब्ध कराई गई।
		भागलपुर जिले में, नावटोलिया को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से सड़क के द्वारा जोड़ा गया था, इसे पुन: (पैकेज सं. बी आर 06 आर-132/12-13, एन एच-31 बिहार चौक से नवटोलिया) 2.43 करोड़ के खर्च से दूसरी सड़क से जोड़ दिया गया।
4.	झारखण्ड	हजारीबाग जिले में, जी टी रोड से धुरगार्गी तक सड़क तीन लक्षित बस्तियों, करीमती, जनसंख्या-553, पदीर्मा, जनसंख्या-993 और धुरगार्गी, जनसंख्या 162 को जोड़ने के लिए बनाई गई। जबकि संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पाया गया कि यह सड़क केवल एक बस्ती धुरगार्गी जनसंख्या-162 को संयोजकता प्रदान करता था।
		हजारीबाग जिले के इचाक खण्ड में 'कलाद्वार 'को दरिया से फुफुंदी तक जोड़ा गया था और एक सड़क मनाई से कलाद्वार तक का निर्माण जून 2014 से जून 2015

		के दौरान राज्य प्रायोजकता योजना के अधीन किया गया। यघपि वही बस्ती पुन: टी 01 से कलाद्वार तक पी एम जी एस वाई के अन्तर्गत निर्मित सड़क के द्वारा जोड़ा गया।
		जामतारा जिले में, श्यामपुर से सिलधावा सड़क (पैकेज सं.- जे एच 12-004) सिलधावा बस्ती को जोड़ने के लिए (सितम्बर 2014) में निर्मित की गई जबकि तथ्य के अनुसार यह बस्ती पहले ही पी सी सी सड़क के द्वारा जुड़ा था।
		गर्हवा जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति पुर्सवानिन रमना को संयोजकता प्रदान करने के लिए चुना गया।
		'पन्डरीपानी-जल्डेगा से पन्डरीपानी' सड़क के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पाया गया कि लक्षित बस्ती पन्डरीपानी सड़क के शुरूआती बिन्दु पर ही स्थित है। यह सड़क बस्ती 'कुपुडेगा' तक जाती है जो पहले ही एक अन्य योजाना के अन्तर्गत सीमेन्ट-कंक्रीट की सड़क से जुड़ा था।
		सिमडेगा जिले में, बाना खण्ड में 6 केवगुटु से कोधीपत सड़क के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया गया कि लक्षित बस्ती कोधीपत पहले ही मौजूदा बिटुमिनस सड़क जो एक अन्य बस्ती केवगुटु को जोड़ती है, से जुडी थी।
5.	मिजोरम	आईजोल और चामपाई जिलों में दो सड़को (जुआंगटुई-मुथी), साकारडाई-वैतिन) को बहु- संयोजकता प्रदान की गई।
6.	राजस्थान	कलस्टर दृष्टिकोण के अन्तर्गत देवपुरा से होते हुए छाबरिया से बुवाना-वेजा-की-झोपरिया सड़क के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया गया कि एक बस्ती बुवाना-तेजा-की-झोपरिया की दूरी दूसरे बस्ती भुवना-तेजा-का-बद्रा से 500 मी. से अधिक थी। इसलिए यह कल्स्टर दृष्टिकोण को क्वालीफाई नहीं करता है।
7.	तमिलनाडु	तिरूवनामलाई जिले में, कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित 0.30 करोड़ की लागत वाले सानीपूंडी अन्नानगर सड़क पर कोई बस्ती नहीं पायी गयी।
8.	उत्तराखण्ड	चामोली में, थरानी से कुराड सड़क लक्षित बस्ती कुराड़ से पर्था बस्ती जो कि फेज-**X** (पैकेज यू टी-03-21) के अन्तर्गत स्वीकृत एक अन्य सड़क पीएमजीएसवाई द्वारा जुड़ा था, की बजाय 5.89 कि.मी. बढ़ा हुआ पाया गया।
		नैनीताल जिले में, अक्सोरा लक्षित बस्ती (झझर से अक्सोरा) 5 कि.मी. पर स्थित था जबकि सड़क दो अनुचित बस्तियों कैरा और बनलेखी, जो कि सी एन डब्ल्यू का भाग नहीं थे, तक 9 कि.मी. तक बनाई गई।
		अल्मोड़ा जिले में, संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया गया कि भुजन-चापर-हिडम-बिल्लेख, अन्तिम लक्षित बस्ती बिल्लेखाजो 27.49 कि.मी. पर स्थित थी, पहले ही

		मौजूदा सभी मौसम वाले सड़क (ब्लैक टोप्ड) जो कि रिचि भुजन से आती थी, से जुड़ी थी।
		चामोली जिले में, संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन/परीक्षण में दिखाया कि सिमली पैट्रोल पम्प से सेमू सड़क तक एक बस्ती कानोथ जो जोड़ने के लिए आठ कि.मी. तक सड़क को बढ़ाया गया जो कि सीएनडब्ल्यू का भाग नहीं था।
		नैनीताल जिले में, कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित नलेना-चोपड़ा सड़क तीन बस्तियों (सौधार, रोपड़ा औ बसगाँव) जो कि सीएनडब्ल्यू का भाग नहीं थे, तक बढ़ा दिया गया।

संलग्नक-7.2

लक्षित बस्ती नहीं जोड़े गए

(पैरा 7.4 से संबंधित)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
1.	असम	नगांव जिले में, पीआईयू नगांव परिमंडल में, मजपोटानी से गेरेकी और चांचकी से केए सड़क के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया कि इसे संबंधित थू रूट से जोड़ने के लिए 200 मी. सड़क का निर्माण नहीं किया गया। थू रूट खराब दशा में था। इस सड़क के आर-पास कोई बस्ती नहीं पायी गयी। पांचकी से केए सड़क तक सड़क के खत्म होने तक 500 मी. की लं. नहीं बनाई गई थी।
2.	बिहार	भागलपुर जिले में, पैकेज सं.-बी आर 06 आर-148 (एन एच 80 से भुवालपुर) के अन्तर्गत निर्मित बस्ती लक्षित बस्ती को संयोजकता प्रदान नहीं करता क्योंकि सड़क के संरेखण में रेलवे ट्रैक था और सड़क ट्रैक के दोनों तरफ से सीमेंट कंक्रीट के खंभो से अवरूद्ध हो गया था। मंत्रालय ने कहा पीएमजी.एसवाई रेलवे को पुलो और भूमिगत रास्तों को पीएमजीएसवाई के संरेखण के सड़कों पर निर्माण की अनुमति नहीं देता। राज्य सरकार ने बताया कि लक्षित अधिवासों को संयोजकता प्रदान की गई है। क्योंकि पीएमजीएसवाई सड़क के पास एक भूमिगत रास्ता मौजूद है। मंत्रालय ता उत्तर संतुष्टिजनक नहीं है क्योंकि लक्षित अधिवासों तक संयोजकता प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। आगे, भूमिगत रास्ता निर्मित सड़क के संरेखण में नहीं था।
3.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर जिले में, टी02 कुली कुक डा बसहा सड़क कार्य में (पैकेज सीजी 0268) बसहा बस्ती तक संयोजकता प्रदान नहीं की गई। नाले पर क्रॉस जल निकासी के कार्य के गैर-निष्पादन के कारण सड़क की स्वीकृत के चार साल बाद से विभाग ने इस स्थान पर एक लम्बा पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। सड़क को (मार्च 2014) में लम्बे पुल के निर्माण से पहले पूरा दिखा दिया गया।
		जशपुर जिले में, कुम्हार ढाब से टी.आर-02 कुम्हारढ़ाब बस्ती तक अप्रैल 2015 में संयोजकता पूर्ण कर ली गई, ये फरवरी 2016 में स्वीकृत आर डी-275 से होकर गुजरने वाले जरूरतमंद नदी पुल को प्रदान नहीं की गई।
4.	झारखण्ड	देवगढ़ जिले में, दिसम्बर 2014 में राजसर से रैदिह तक राजसर लक्षित बस्ती के लिए 1.10 करोड़ की लागत से सड़क पूरी कर ली गई थी। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखावा कि सड़क को राजसर से संयोजकता किए बिना ही पूरा कर दिया गया। जाँच में पाया गया कि राजसर बस्ती सड़क के अन्तिम छोर से 8 कि.मी. की दूरी पर था।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
		डीपीआर के अनुसार सितम्बर 2014 में भोकतादिह, गोविन्दपुर और कोकरीबैंक के लक्षित अधिवासों के लिए घोर्लस से बरानोखिल तक 0.65 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण लक्षित अधिवासों कोकरी बैंक, से जोड़े बिना ही पूरा कर दिया गया जो कि दूसरी सड़क राजसर से रैदिह से जुड़ी थी।
		गर्हवा में, दो सड़कों, एल 046 से जाला और कटकमसंदी से उलांज के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया कि लक्षित बस्तियों जाला और उलाँज को 500 मी. से अधिक तक पूरी संयोजकता प्रदान नहीं की गई।
5.	ओडिशा	रायगढ़ जिले में, 0.63 करोड़ की लागत से निर्मित बालीखम्भा तक पीडब्ल्यूडी सड़क (मार्च 2015), बालीखम्बा तक संयोजकता प्रदान करने में असफल रही क्योंकि सड़क लक्षित बस्ती से 700 मी. कम थी।

अनुबंध-7.3

सड़क कार्यों का अपूर्ण/खराब निर्माण कार्य

(पैरा 7.5 से संबंधित)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
1	अरूणाचल प्रदेश	लोहित जिले में, तेजू-लोहितपुर से मेखालियांग तक 1.5 कि.मी. तक बिटुमिनस परत के बहने, सड़क की सतह पर गड्ढे होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। लथाऊ से जोना-III तक सड़क को 5 साल का रख-रखाव अवधि समाप्त हो जाने पर गढ्ढे पड़ जाने के कारण खराब तरीके से रख-रखाव किया गया।
2	असम	पीआईयू में पैकेज ए.एस 13-59 के अन्तर्गत, एचपीआईयू के अन्तर्गत करीमगंज, सिलचर, योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.89 करोड़ की लागत से सीएनडब्ल्यू से बाहर 8 सड़क लिए गए और इस परियोजना में मार्च 2015 तक 9.76 करोड़ खर्च कर दिए गए। सड़क के इस टुकड़े की स्थिति कीचड़ व गडढ़ो से भरे होने के कारण खेदजनक थी। दोनों तरफ की पट्टियों से सड़क टूटनी शुरू हो गई थी। यघपि यह सड़क पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित थी, फिर भी किसी बस्ती से नहीं जुड़ती थी।
		कमपुर जमुनामुख सड़क (नगाँव सर्कल) की दशा भी खेदजनक थी। बड़े गड्ढे बन चुके थे और धीरे-धीरे बिटुमैन कार्य टूट रहा था। दोनों तरफ से पट्टियाँ टूट गई थी।
3	छत्तीसगढ़	रायपुर जिले में, सड़क सं. टी 02 (धुर्राबंधा) से पौसरी पर पाइप पुलिया भारी वर्षा के कारण बह गई क्योंकि बहाव का सही आंकलन नहीं किया गया था।
4	जम्मू और कश्मीर	तीन चयनित जिलों के 10 सड़क परियोजनाओं के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पाया गया कि 269 पुलों/पुलियों की बजाय 170 का ही निर्माण किया गया और सड़कें पर्याप्त जल-निकास पुलियों के गैर-निर्माण या बुरे निर्माण कार्य की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई।
5	झारखण्ड	सिमडेगा जिले में, पंडरीपानी जल्डेगा से पंडरीपानी सड़क सितंबर 2015 से बनाई गई। शुरू से 600 मी. तक एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। परिणामस्वरूप उस बिन्दु पर वाहन वहाँ से नहीं गुजर सकते थे।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
		देवघर जिले में, जनवरी 2015 0.64 करोड़ की लागत से टी 06 से डुन्डुआदिह तक निर्मित सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीण कार्य खण्ड देवघर के अभिलेखों में पाया गया कि ठेकेदारों ने नक्सल समस्या के कारण (सितम्बर 2013) दरवा नदी पर 96 मी. लम्बे पुल का निर्माण रोक दिया। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में पाया गया की अब तक केवल तीन खम्भों का ही निर्माण हुआ था। पुल का गर्डर झुकी हुई अवस्था में था। पुल का निर्माण न होने के कारण बोधानिया बैंक और मानिकपुर को संयोजकता प्रदान नहीं की गई।
		सिमडेगा जिले में सड़क एलओ**59**- आरईओ मुख्य सड़क कुटमाकछार से मुरामबटोली, झिमरी से होते हुए के प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखाया गया कि शुरू से 2.070 कि.मी. पर, संरेखण जंगली क्षेत्र से होकर गुजरता था और चट्टानी था, डीपीआर ने चट्टानी जगह नहीं दिखाई और जंगली क्षेत्र 3.5 कि.मी. के बाद दिखाया। इस लेखा पर (2.070 से 4.200 कि.मी.) के बीच कोई कार्य नहीं किया गया।
6	मणिपुर	उखरूल जिले में, "चंगई-हइशु सड़क (एमएन 0943)" (7.5 कीमी. पर अवस्थित) पर बेली पुल के पूरा नहीं होने के कारण "चिंगई-हइशु सड़क" मोटर वाहनों के लिए संयोजकता प्रदान नहीं कर सकी थी। एक स्प्रिंग वाला पुल (पैदल पुल), जो निर्माणाधीन बेली पुल के पास अवस्थित है, नदी को पार करने के लिए लिंक के रूप में कार्य कर रहा था। पुल के चिंगाई की तरफ पहुँच पर सड़क को पूरा नहीं किया गया था।
7	सिक्किम	मिंटोगंग से धनबरी सड़क तक सड़क को 3.31 करोड़ की लागत से अगस्त 2014 में पूरा किया गया था। सात सीडी एवं छः कल्वर्ट का निर्माण हुआ पाया गया जिसमें से दो सीडी भूस्खलन के कारण अवरूद्ध हो गये थे। सड़कों के पार्श्ववर्ती नाले भूस्खलन, बालू एवं मिट्टी के से अवरूद्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न समय पर क्षतिग्रस्त हो गये थे।
8	उत्तराखंड	चमोली जिले में, पल्सरी-बमियाला सड़क को संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में दिखायी दिया कि चरण-**I** के अंतर्गत पहाड़ी पार्श्वों की त्रुटिपूर्ण कटाई विभिन्न स्थानों पर प्रत्यक्ष दिखायी दे रही थीं, जिन्हे चरण-**II** के अंतर्गत सड़क पर कोलतार के कार्य के निष्पादन के पूर्व हटाया नहीं गया था। सड़क के कुछ भाग में चौड़ाई त्रुटियों को नहीं सुधारने के कारण 3-4 मीटर ही पायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया था।

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
		चोपड़ा से नलाई तक सड़क निर्माण, मैलसैन-चोपड़ा सड़क के नलाई बस्ती तक एक विस्तार था लेकिन कोलतार कार्य की गुणवत्ता कई जगहों पर निम्न स्तर की देखी गयी थी।
		नैनीताल जिले में, सड़क का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन में दिखायी दिया कि भोरसा-पिनरो का निर्माण एक गुजरने वाली सड़क के रूप में किया गया था जबकि इसकी संस्वीकृति एक लिंक मार्ग के रूप में प्राप्त की गयी थी। लक्षित बस्ती पिनरो दोनों तरफ से बीच में पड़ता था जबकि दूसरा लक्षित बस्ती पश्थोला (जनसंख्या-350) सड़क के पूरे अलाइनमेंट में कहीं नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, सड़क का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जबकि इसके चरण-II का निर्माण-कार्य फरवरी 2014 में पूरा हो गया था।
		पौड़ी जिले में, मैलसैन से चोपड़ा तक सड़क पर कोलतार का कार्य विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाया गया था।
		अल्मोड़ा जिले में, अन्य जिला सड़क-59 लखरकोट से मल्खनी तक, कोलतार कार्य की गुणवत्ता निम्नस्तरीय पायी गयी थी इससे सड़क के सतह पर विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। अंतिम लक्षित बस्ती मथकनी के बाद 400 मीटर सड़क का निर्माण किया गया था। ठेकेदार द्वारा जुलाई 2012 में निर्माण-कार्य की समाप्ति के बाद उसके अनुरक्षण का कार्य नहीं हुआ था।

अनुबंध-7.4

निर्माण-कार्य के निष्पादन में कमियाँ

(पैरा 7.6 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
1.	बिहार	मधुबनी जिले में, सड़क सं.-बीआर-21 आर- 224) x-सड़क टी 02 से कुकुरडौरा) के निरीक्षण में पाया गया कि पार्श्ववर्ती नाले का निर्माण सीसी फुटपाथ-के भाग के दोनों ओर नहीं किया गया था और चेनेज 3920 मीं 3940 मी. पर दो कल्वर्ट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे।
		वैशाली जिले में, तेरासिया से अरापातपुर सिंधिया उर्फ बरियारपुर तक सड़क में पैकेज सं- बीआर- 36आर- 147 के अंतर्गत, तीन के प्रावधान के प्रति एक ह्यूम पाइप कल्वर्ट, का निर्माण भी नहीं किया गया था।
		कटिहार जिले में, पैकेज सं.-बीआर-16 आर- 127 (सिमरिया से नक्कीपुर) के अंतर्गत, सड़क के दोनों ओर 1198 मीटर में बिक्र एन सोलिंग एवं कोणीय नाले का निर्माण नहीं हुआ था।
2	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा जिले में, रूलेहर-लाम लिंक मार्ग का हार एवं लाल बस्ती को संयोजकता प्रदान करने के लिए अगस्त 2014 में 2.98 करोड़ की लागत से निर्माण पूरा किया गया था। संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में दिखायी दिया कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य का निष्पादन पूरी तरह[1] नहीं किया था जबकि विभाग ने निर्माण कार्य को पूरा किया गया दिखाया गया था। बहुत स्थानों पर, पार्श्ववर्ती नाले मलबे एवं पत्थरों से भरे हुए थे और वे दिखायी नहीं दे रहे थे। कुछ स्थानों पर, सड़क कच्ची दिखायी दे रही थी।
3	झारखण्ड	पश्चिम सिंहभूमि जिले में, नोआमुंडी एसएच से सोसोपी के निर्माण कार्य का निष्पादन इस तथ्य के बावजूद एनपीसीसी द्वारा दिसंबर 2014 से ठेकेदार को आबंटित किया गया था कि मौजूदा सतह पीसीसी था और वह अच्छी स्थिति में था।
		पश्चिम सिंहभूमि जिले में, मझगांव प्रखंड में इचापी सड़क से जवारीभंगा सड़क मई 2014 में 1.20 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया था। छोटे पुल बनाने के स्थान पर, बगैर किसी सुरक्षा दीवार के एक कल्वर्ट का निर्माण उस स्थान पर किया गया इसके फलस्वरूप सड़क उस स्थान पर किया गया था इसके फलस्वरूप सड़क उस स्थान पर बह कर आने वाले पानी से लगभग बह गया।
		जमात्रा जिले में, 'पुर्नीघाटी से बोरवा' तक निर्मित सड़क (अक्टुबर 2014) के निरीक्षण में दिखायी दिया था कि पहाड़ी क्षेत्र निकासी एवं सुरक्षा दीवारों की

[1] फार्मेटिंग कटिंग: 3,880 किमी, क्रास जल निकासी: 27 सं., पार्श्ववर्ती नाला: 3,262 मी., 150सं., पिथरिंग: 3,746 कीमी एवं वर्रिंग: 3,435 कीमी.

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियाँ
		व्यवस्था नहीं होने के कारण, सड़क कर्व कट गया था और बरसात के पानी से सड़क पर मिट्टी जम गयी थी।
		पश्चिम सिंहभूमि एवं देवघर जिले में, छोटाकुद्रा से पटाहटु सड़क, सोनुभा मुख्य सड़क से कुमाई मार्ग से गुइकेरा चौक तक एवं बैधनाथपुर से बहादुरपुर तक सड़क के संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण में दिखायी दिया कि अधिवासों के समीप पार्श्ववर्ती नाले नहीं बने थे।
4	सिक्किम	पूर्वी जिले में, सालम्थंग सड़क से निम्न तरेयथंग तक जनवरी 2014 में पूरा हुआ था। 7.88 किमी (चरण-I) की संस्वीकृत लंबाई में से, 6.28 किमी. लंबाई का अच्छे मौसम वाले सड़क का निर्माण हुआ था और शेष 1.60 कीमी. की सड़क का निर्माण दूसरे स्थान पीडब्ल्यूडी सड़क से अंबा पर हुआ था जो वास्तविक रूप से संस्वीकृत स्थिति से लगभग तीन किमी दूर था।
5	**तमिलनाडु**	डींडीगुल जिले में, कोंबेरीपत्ती-अंदुकुलुम बस्ती क्रमश: शुरूआती बिंदु (0/0) एवं अंतिम बिंदु (1/500) पर नहीं था और दुरी सड़क से 200/300 मी. दूर था।
6	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा जिले में, ब्रहनचेर्रा वार्ड-1 से ककराचेरी सड़क को अप्रैल 2011 में डीपीआर के अनुसार आठ के प्रति दो कल्वर्ट के साथ पूरा किया गया था।

अनुबंध-8.1

वेबसाइट की जांच

राज्य तुलन पत्र के अनुसार शेष (मार्च 2015)

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

राज्य	असमाशोधित बैंक प्राधिकृति	असमाशोधित निधि
आन्ध्र प्रदेश	₹ -12,56,64,975.00	₹ -2,01,53,13,155.00
असम	₹ -2,37,30,545.00	₹ -53987,04,337.00
बिहार सीपीडब्लूडी	₹ -9,69,79,000.00	₹ -9,69,79,000.00
बिहार एनएचपीसी	₹ 24,25,722.00	₹ 0.00
बिहार आरडब्लूडी	₹ 2,93,04,77,252.73	₹ -22,30,05,30,330.00
छत्तीसगढ़	₹ 98,17,444.00	₹ 0.00
हरियाणा	₹` -49,35,908.00	₹ -3,49,94,10,411.00
जम्मू एवं कश्मीर	₹ -2,34,37,14,903.36	₹ -28,09,44,90,647.73
झारखण्ड एचएसडब्लूसी	₹ 50,76,52,810.00	₹ -4,78,24,31,186.00
झारखण्ड एनबीसीसी	₹ 50,76,52,810.00	₹ -4,78,24,31,186.00
झारखण्ड एनपीसीसी	₹ 50,76,52,810.00	₹ -4,78,24,31,186.00
झारखण्ड आरडब्लूडी	₹ 50,76,52,810.00	₹ -4,78,24,31,186.00
कर्नाटक	₹ 2,22,78,318.00	₹ -37,28,27,41,527.66
केरल	₹ -4,32,67,590.00	₹ -8,98,65,13,433.75
महाराष्ट्र	₹ -12,11,65,34,148.86	₹ -14,25,80,80,346.18
मिजोरम	₹ -2,31,76,715.00	₹ -18,92,14,779.00
ओडीशा	₹ -2,06,46,654.00	₹ 11,18,69,000.00
तमिलनाडु	₹ -7,45,32,57,724.69	₹ -6,92,37,88,564.86
तेलंगाना	₹ -2,20,13,664.00	₹ -4,20,69,55,798.00
त्रिपुरा	₹ -1,30,32,88,463.00	₹ -8,05,27,61,721.00

राज्य	असमाशोधित बैंक प्राधिकृति	असमाशोधित निधि
उत्तराखण्ड	₹ -3,36,06,914.52	₹ -3,38,89,285.52
कुल	**₹ -18,61,52,07,228.70**	**₹ -1,54,95,85,24,743.70**
डेबिट शेष	₹ -23,61,08,17,205.43	
क्रेडिट शेष	₹ 4,99,56,09,976.73	

अनुबंध-8.2

वेबसाइट की जांच: निविदात्मक अनुबंध विवरण

(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

क्रं. सं.	राज्य	संस्वीकृत निर्माण कार्य	निर्माण कार्य अनुबंध	संस्वीकृत लागत (`लाख में)	अनुबंध की कीमत (`लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	4,452	4,374	339,610.94	8,081,340,088.98
2	अरूणाचल प्रदेश	976	879	377,033.54	788,331,242.17
3	असम	5,660	5,368	1,020,893.11	1,628,479,046.34
4	बिहार	16,852	14,350	2,873,898.40	4,557,541,107.54
5	छत्तीसगढ़	6,813	6,695	846,945.30	96,746,565.20
6	गोवा	84	0	1,535.27	0.00
7	गुजरात	4,420	4,418	280,526.84	329,820,397.75
8	हरियाणा	426	426	154,630.30	45,824,382.86
9	हिमाचल प्रदेश	2,384	2,251	303,732.16	5,387,729,048.36
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,982	1,638	527,650.71	129,798,589.16
11	झारखण्ड	5,174	4,681	680,414.76	1,395,317,435.91
12	कर्नाटक	3,315	3,308	334,064.48	541,523,080.27
13	केरल	1,430	1,351	151,285.45	557,385,405.21
14	मध्य प्रदेश	16,218	16,060	1,868,927.41	671,852,109.65
15	महाराष्ट्र	6,158	6,098	670,792.53	2,503,717,594.61
16	मणिपुर	1,544	1,300	233,119.63	148,300.26
17	मेघालय	721	703	110,781.79	117,981.25
18	मिजोरम	217	213	97,286.82	15,767,018.74
19	नागालैण्ड	305	305	73,273.24	74,363.64
20	ओडीशा	11,941	10,911	1,781,298.61	4,803,721,017.60
21	पंजाब	1,050	1,035	282,350.86	92,243,339.11

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत निर्माण कार्य	निर्माण कार्य अनुबंध	संस्वीकृत लागत (`लाख में)	अनुबंध की कीमत (`लाख में)
22	राजस्थान	15,550	15,330	1,217,719.90	1,374,010,492.15
23	सिक्किम	778	777	122,165.10	157,908.60
24	तमिलनाडु	6,654	6,242	349,703.17	229,087,671.75
25	तेलंगाना	2,843	2,820	216,061.1	2,919.57
26	त्रिपुरा	1,401	1,354	300,778.19	834,489.22
27	उत्तर प्रदेश	17,649	17,462	1,354,473.27	7,758,338,048.01
28	उत्तराखण्ड	1,125	1,034	301,105.07	1,051,332,275.81
29	पश्चिम बंगाल	4,981	4,750	1,106,489.66	333,285,504.79
	कुल	**1,43,103**	**1,36,133**	**1,79,78,547.62**	**42,37,45,27,424.51**

अनुबंध-8.3

राज्यों में आई.टी. अवसंरचना

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

क्र. सं.	आई.टी. लेखापरीक्षा मुद्दे	निष्कर्ष
1.	क्या एसआरआरडीए ने पर्याप्त वरिष्ठता और सूचना प्रौद्योगिकी का पर्याप्त ज्ञान रखनेवाले अधिकारी को समीक्षा अवधि के दौरान राज्य आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है?	**गुजरात, कनार्टक, नागालैण्ड** एवं **तमिलनाडु** में कोई आईटीएनओ नियुक्त नहीं हुआ था। **हरियाणा** में यह पद नवम्बर 2014 से रिक्त है और **जम्मू एवं कश्मीर** में फरवरी 2013 से आईटीएनओ को नियुक्त नहीं किया गया था। **बिहार** में कम्प्यूटर के ज्ञान वाले आधारभूत सिविल अभियंता को आईटीएनओ के रूप में नियुक्त किया गया था।
2.	क्या ओम्मास एप्लीकेशन हेतु एम.आई.एस. रिपोर्टों के सृजन/डाटा प्रविष्टि के लिए पर्याप्त कम्प्यूटर हार्डवेयर (डेस्कटॉप मशीनें, इंटरनेट कन्क्टिविटी, प्रिंटर, आदि) उपलब्ध हैं?	**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश** और **मेघालय** के अलावा, किसी राज्य ने कम्प्यूटर हार्डवेयर की कमी सूचित नहीं की थी।
3.	क्या कम्प्यूटर हार्डवेयर हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) प्रदान किए गए हैं?	**बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम** एवं **नागालैण्ड** में कम्प्यूटर हार्डवेयर हेतु एएमसी प्रदान नहीं की गई थी।
4.	क्या पर्याप्त स्टाफ अर्थात् डाटा प्रविष्टि संचालक उपलब्ध थे?	**जम्मू एवं कश्मीर**, **मणिपुर**, **तमिलनाडु** एवं **उत्तर प्रदेश** ने डाटा प्रविष्टि हेतु डीईओ की उपलब्धता की कमी सूचित की थी।
5.	क्या डाटा प्रविष्टि हेतु सी-डैक/**एसआरआरडीए** द्वारा स्टाफ को उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है?	सभी राज्यों द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण सूचित किया गया था।
6.	क्या ओम्मास एप्लीकेशन में पर्यवेक्षी स्तरों पर डाटा प्रविष्टि की जांच/विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई प्रावधान है?	**अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु** एवं **उत्तर प्रदेश** में, डाटा प्रविष्टि की जांच/विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
7.	बल्क डाटा प्रविष्टि का पर्यवेक्षण करने के लिए क्या प्रावधान था?	**हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान** एवं **पश्चिम बंगाल** को छोड़कर कहीं प्रावधान नहीं था।
8.	क्या पीआईयू स्तर पर डाटा को अपडेट करने में होने वाले लगातार विलंब/विफलता को	**आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान** और

क्र. सं.	आई.टी. लेखापरीक्षा मुद्दे	निष्कर्ष
	एसआरआरडीए के सीईओ को सूचित किया जाता था ताकि डाटा प्रविष्टि को उचित रूप से मॉनीटर किया जा सके?	**उत्तर प्रदेश** को छोड़कर ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई थी।
9.	क्या आईटी नोडल अधिकारी द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्ट एसआरआरडीए को भेजी गई थी?	**बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश**, **जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु** एवं **उत्तर प्रदेश** को छोड़कर ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई थी।
10.	क्या प्रणाली द्वारा मासिक एमआईएस रिपोर्टें सृजित एवं सीईओएसआरडीए के समक्ष प्रस्तुत की जा रही थीं?	**छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा** एवं **उत्तर प्रदेश** में, प्रणाली द्वारा एमआईएस रिपोर्टें सृजित नहीं की जा रही थीं और सीईओ, एसआरआरडीए के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा रहीं थीं।
11.	क्या डीपीआईयू पर त्रैमासिक एमआईएस रिपोर्टें सृजित की जा रही हैं और डाटा की विश्वसनीयता पर अधिशासी अभियंता/ पीआईयू के अध्यक्ष की टिप्पणियों के साथ आईटी नोडल अधिकारी को अग्रेषित किए जा रहे हैं?	**बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश** एवं **पश्चिम बंगाल** में, एमआईएस रिपोर्टें डीपीआईयू पर न तो सृजित की जा रही थी और न ही आईटीएनओ को अग्रेषित की जा रही थीं।